[2021] 1 एस. सी. आर 725

वेनिगल कोटेश्वरम्मा

वी.

मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस।

(2013 की सिविल अपील संख्या 9546)

19 जनवरी, 2021

[संजय किशन कौल, दिनेश माहेश्वरी और

ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

विभाजन: विभाजन के लिए वाद-वादी और प्रतिवादी संख्या की रखरखाव। 1 3 के लिए सह-भागीदार थे विभाजन के लिए दावा उनकी सौतेली माँ की संपत्ति के संबंध में था-प्रतिवादी सं। 4 सौतेली माँ का भाई था-शिकायत में आरोप था कि प्रतिवादी नं. 4 उनकी मृत्यु के बाद कागज पर उनके अंगूठे का निशान प्राप्त किया-हालाँकि, किसी भी समझौते का कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं दिया गया था

विशेष दस्तावेज़ की बिक्री या निर्माण के लिए-सौतेली माँ और वसीयत द्वारा बिक्री के लिए समझौते के निष्पादन के संबंध में याचिका केवल प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान में सामने आई 4 रिकॉर्ड

यह दिखाया कि प्रतिवादी 4 द्वारा अपनी लिखित याचिका के बाद ही

बयान कि वसीयत के तहत वसीयतदार और समझौते में विक्रेता को क्रमशः प्रतिवादी 14 और 15 के रूप में जोड़ा गया था

वादी ने वसीयत और समझौते के निष्पादन से इनकार किया और प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी 14 और 15 का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था और उनके दावे नजरअंदाज किए जाने योग्य थे, हालांकि, वादी ने घोषणा की कोई राहत नहीं मांगी, चाहे वसीयत के खिलाफ हो या समझौते के खिलाफ-बिक्री के लिए समझौते के खिलाफ घोषणा की राहत के लिए मुकदमे की गैर-रखरखाव के बारे में याचिका जो टिकाऊ नहीं है: एक व्यक्ति जिसके पक्ष में बिक्री के लिए समझौता होता है, वह करता है

उस आधार पर बिक्री विलेख प्राप्त करने के अधिकार के अलावा संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिला-बिक्री के लिए कथित समझौते में विक्रेता को स्वामित्व या किसी भी हित के साथ निवेश नहीं किया गया था, और बिक्री के लिए कथित समझौते में विक्रेता को किसी भी ऐसे अधिकार के साथ निवेश नहीं किया गया था कि वादी समझौते के खिलाफ घोषणा की मांग किए बिना अपनी सौतेली माँ द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के संबंध में विभाजन के लिए अपने दावे को बनाए नहीं रख सकती थी-हस्तांतरण

संपत्ति अधिनियम, 1882 - एस. 54.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: Or.XXII rr. 2 , 4 – इसकी प्रयोज्यता - कोड के Or.XXII का r. 2 उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसमें से एक कई वादी या प्रतिवादी मर जाते हैं और मुकदमा करने का अधिकार जीवित रहता है

कई अपीलार्थी या उत्तरदाताओं की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार केवल जीवित अपीलार्थी (ओं) या केवल जीवित प्रतिवादी (ओं) के खिलाफ रहता है-हालाँकि, आर 4 के आधार पर आर के साथ पढ़ा जाता है। 11 कोड के Or.XXII का, कई में से एक की मृत्यु के मामले में उत्तरदाता, जहां मुकदमा करने का अधिकार जीवित उत्तरदाता या उत्तरदाताओं के खिलाफ जीवित नहीं रहता है और साथ ही उस मामले में भी जहां एकमात्र

प्रत्यर्थी की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार जीवित रहता है, विचाराधीन प्रक्रिया यह है कि मृतक के कानूनी प्रतिनिधि

प्रत्यर्थी को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाना है और यदि कोई आवेदन नहीं है

कानून द्वारा सीमित समय के भीतर इस तरह के प्रतिस्थापन के लिए किया जाता है, अपील मृत प्रतिवादी के खिलाफ समाप्त हो जाती है-तत्काल मामले में, यह मामला नहीं है कि प्रतिवादी 2 के लिए कोई कानूनी उत्तराधिकारी उपलब्ध नहीं थे-यह भी मामला नहीं है जहां मृत प्रतिवादी 2 की संपत्ति उत्तरजीविता या अन्यथा द्वारा शेष पक्षों को हस्तांतरित की गई थी। 2 Or.XXII को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है

मान लीजिए, प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए कदम नहीं उठाए गए थे 2-इसलिए, आर के उप-नियम (3)। 4 संहिता की धारा <आई. डी. 1] सीधे अमल में आई और प्रतिवादियों द्वारा 16 से 18 तक दायर की गई उक्त अपील को प्रतिवादी 2 के खिलाफ समाप्त कर दिया गया।

कार्य और दस्तावेज: दो दस्तावेजों का मिश्रण-तत्काल मामले में, वसीयत में (उदा. बी-9), वसीयत करने के अलावा, कथित तौर पर वसीयतकर्ता ने अपनी मां (वसीयतकर्ता) को प्रतिवादी 15 के पक्ष में एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित करने का भी निर्देश दिया, जो निष्पादित समझौते के अनुसार उससे शेष बिक्री पर विचार प्राप्त करने के बाद किया गया था।

उनके पक्ष में और ऋणों का निर्वहन करने का भी निर्देश दिया -

वसीयत में उल्लिखित समझौता कोई और नहीं बल्कि पूर्व था। बी-10 इन दस्तावेजों की प्रकृति, उद्देश्य और सामग्री को देखते हुए, उनकी वैधता और वास्तविकता के बारे में प्रश्नों की जांच करते समय दोनों के बीच समय का अंतर बहुत प्रासंगिक नहीं है; और किसी भी मामले में, बिक्री समझौता (उदा। बी-10) एक बार जब यह पाया गया कि इस दस्तावेज़ का वास्तव में विवादित वसीयत में उल्लेख किया गया था और इसके तहत दायित्वों को कथित रूप से वसीयतकर्ता को पारित कर दिया गया था, तो यह एक स्वतंत्र या स्वतंत्र दस्तावेज़ नहीं रहा-इसके अलावा, वसीयत में वसीयतकर्ता से वसीयतकर्ता के ऋणों का भुगतान करने की भी आवश्यकता थी-प्रतिवादियों ने यह भी सुझाव दिया कि वसीयतकर्ता का ऋण

विचाराधीन संपत्ति की बिक्री का कारण है-सभी चीजों को एक साथ रखते हुए, वेनिगाला कोटेश्वरम्मा बनाम।

मालेम्पाती सुरयाम्बा

& ओआरएस।

वसीयतकर्ता का ऋण और वह संपत्ति बेचने के लिए सहमत

प्रतिवादी 15 ने कथित वसीयत का एक अभिन्न हिस्सा बनाया-इसलिए, दोनों दस्तावेजों को अलग नहीं किया जा सकता था-ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए कि वसीयत का दस्तावेज़ (उदा. बी-9) एक अत्यधिक संदिग्ध दस्तावेज था और प्रस्तावक संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करने में विफल रहे हैं उच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रस्तुति दी गई थी कि वसीयत (उदा. बी-9) संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हुआ पाया गया, समझौता (एक्स। बी-10) को भी खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि एक आवश्यक उपसंहार उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के संदर्भ में इस तर्क को खारिज कर दिया कि

समझौता (उदा. बी-10) समय से पहले था और एक स्वतंत्र दस्तावेज था जिसे इस तरह से लागू किया जा सकता था-जांच करते समय

बिक्री के लिए इस तरह के समझौते के अस्तित्व के बारे में संभावनाओं की प्रधानता, पक्षों के समग्र संबंध, कथित समझौते के लाभार्थियों और उनके आचरण को दूर नहीं रखा जा सकता है कथित समझौते को अस्वीकृत वसीयत के साथ जोड़ा गया है क्योंकि

उत्तरार्द्ध की विशिष्ट सामग्री-इसलिए, वसीयत की वास्तविकता के खिलाफ निष्कर्षों के परिणाम समझौते को भी प्रभावित करने के लिए बाध्य हैं-उच्च न्यायालय के विचार को नुकसान हुआ

दृष्टिकोण की मौलिक त्रुटि।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 यह सामान्य है कि विभाजन वास्तव में एक प्रक्रिया है।

जिसमें और जिसके द्वारा, एक संयुक्त आनंद एक में बदल जाता है

कई में आनंद। संपत्ति का विभाजन केवल उन्हीं लोगों के बीच हो सकता है जिनका इसमें हिस्सा या हित हो। एक व्यक्ति जिसका ऐसी संपत्ति में हिस्सा नहीं है, वह स्पष्ट रूप से एक पक्ष नहीं हो सकता है

विभाजन। विभाजन के लिए एक मुकदमे में, न्यायालय तीन मुख्य मुद्दों से संबंधित है: ((i) क्या विभाजन चाहने वाले व्यक्ति का वाद संपत्ति/संपत्तियों में कोई हिस्सा या हित है; (ii) क्या वह विभाजन की राहत और अलग अधिकार का हकदार है; और (iii)

उल्का और सीमा द्वारा विभाजित। व्युत्पत्ति के अनुसार, अभिव्यक्ति " घोषणा ", विभाजन के लिए एक मुकदमे के उद्देश्य के लिए, अनिवार्य रूप से मुकदमे की संपत्तियों में वादी के हिस्से की घोषणा को संदर्भित करता है। [पैरा 37] [762-एफ-एच; 763-ए] [2021] 1 एस. सी. आर.

1.2 विभाजन, अलग कब्जा और अपने लाभ की वसूली के लिए इस मुकदमे में, वादी-अपीलकर्ता ने जोर देकर कहा कि प्रतिवादी 1 से 3 सह-भागीदार थे और आरोप लगाया कि प्रतिवादी 4 (अन्नपूर्णा का भाई) और अन्य आरोपित प्रतिवादी भाई-बहनों के बीच अन्नपूर्णा की संपत्तियों के विभाजन में बाधा/बाधा पैदा कर रहे थे। शिकायत में मुख्य आरोप प्रतिवादी 4 के खिलाफ निर्देशित किए गए थे

अन्नपूर्णा की संपत्तियों के साथ उनका व्यवहार; और अपने स्वयं के व्यक्तियों के पक्ष में मध्यस्थता के लिए एक समझौता प्राप्त करके वादी और उसके भाई-बहनों के मामलों में उनका हस्तक्षेप। उस क्रम में, यह भी आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी 4 और उसका

परिवार के लोगों ने उनकी मृत्यु के बाद कागज पर अन्नपूर्णा के अंगूठे के निशान प्राप्त किए। हालांकि, बिक्री के लिए किसी समझौते का कोई संदर्भ नहीं था और न ही किसी विशेष दस्तावेज के मनगढ़ंत होने का कोई आरोप था। वादी ने अन्नपूर्णा द्वारा निष्पादित या किसी भी व्यक्ति द्वारा उससे प्राप्त बिक्री के लिए किसी भी समझौते के बारे में जागरूकता नहीं दिखाई थी; और एक्स जैसे किसी भी समझौते का कोई संदर्भ नहीं था। बी-10। अन्नपूर्णा द्वारा 05.11.1976 और 15.06.1978 पर बिक्री के लिए समझौते के निष्पादन के संबंध में याचिका केवल प्रतिवादी 4 द्वारा दायर लिखित बयान में सामने आई। अभिलेख की जांच से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी 4 द्वारा अपने लिखित बयान में ऐसी दलीलें लेने के बाद ही वसीयत (उदा. बी-9) और समझौते में विक्रेता (उदा। बी-10) को क्रमशः 14 और 15 प्रतिवादियों के रूप में जोड़ा गया। वादी ने वसीयत के निष्पादन से इनकार कर दिया

और अन्नपूर्णा द्वारा समझौता और प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी

और उन्हें ऐसी कोई घोषणा करने की आवश्यकता नहीं थी। [पैरा 38] [763-बी-एफ] 1.3 वसीयत और बिक्री समझौते से संबंधित दलीलें केवल प्रतिवादी 4 द्वारा अपने लिखित बयान में ली गई थीं (और ऐसे अन्य प्रतिवादियों द्वारा जिन्होंने उनके लिखित बयान को अपनाया था)। जाहिर है, इस तरह की दलीलें स्थापित करने की जिम्मेदारी प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों पर थी। यदि ऐसी दलीलें, या उनमें से कोई भी, स्थापित हो जाती, तो आवश्यक परिणाम सामने आते और दूसरी स्थिति में, वादी को सफल होना होता।

किसी भी मामले में, वेनिगल कोटेश्वरम्मा बनाम। मालेम्पाती सुरयाम्बा

& ओआरएस।

वसीयत और बिक्री समझौते के दस्तावेज, जैसा कि प्रतियोगी द्वारा स्थापित किया गया है

प्रतिवादी, उन्हें स्थापित करने वाले व्यक्तियों द्वारा सबूत के अधीन थे। उसकी ओर से और विभाजन और अन्य संबंधित राहतों के लिए मुकदमे को बनाए रखने के उद्देश्य से, वादी को उनकी अनदेखी करने का अधिकार था और वादी को समझौते के खिलाफ घोषणा की राहत लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

अभियुक्त। इसके अलावा, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 के अनुसार, यह भी मौलिक है कि

अचल संपत्ति की बिक्री अपने आप में ऐसी संपत्ति में कोई ब्याज पैदा नहीं करती है या उस पर कोई शुल्क नहीं लेती है। जिस व्यक्ति के पक्ष में बिक्री का समझौता होता है, उसे संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं मिलता है, सिवाय इसके कि

उस आधार पर विक्रय विलेख प्राप्त करने का अधिकार। [पैरा 38.1,39] [763-जी-एच; 764-ए-सी]

1.4 यह बिना कहे चला जाता है कि बिक्री के लिए कथित समझौते ने विक्रेता को संपत्ति के स्वामित्व या उसमें किसी भी हित के साथ निवेश नहीं किया था; और बिक्री के लिए कथित समझौते ने विक्रेता को किसी भी ऐसे अधिकार के साथ निवेश नहीं किया था कि वादी संपत्तियों के संबंध में विभाजन के लिए अपने दावे को बनाए नहीं रख सकती थी। समझौते के खिलाफ घोषणा की मांग किए बिना अन्नपूर्णा द्वारा छोड़ दिया गया। इसलिए, उक्त समझौते के खिलाफ घोषणा की राहत के लिए मुकदमे की गैर-रखरखाव के बारे में यह याचिका

बिक्री पूरी तरह से आधारहीन है और इसे केवल अस्वीकार किया जा सकता है। [पैरा 39.1] [764-जी; 765-ए-बी]

2.1 दीवानी मुकदमे में पक्षकारों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से निपटने के लिए प्रक्रिया के नियम अनिवार्य रूप से हैं

संहिता के आदेश XXII में निहित प्रावधानों द्वारा शासित। यद्यपि आदेश XXII के नियम 1 से नियम 10ए के प्रावधान

मुख्य रूप से एक मुकदमे में कार्यवाही का उल्लेख किया जाता है, लेकिन नियम 11 के आधार पर, उक्त प्रावधान अपीलों पर भी लागू होते हैं और अपील के उद्देश्य के लिए, "वादी", "प्रतिवादी" अभिव्यक्तियाँ लागू होती हैं।

और "वाद" को क्रमशः "अपीलार्थी", "प्रत्यर्थी" और "अपील" के रूप में पढ़ा जा सकता है। संहिता के आदेश XXII का नियम 1 घोषित करता है

कि वादी या प्रतिवादी की मृत्यु से मुकदमा समाप्त नहीं होगा यदि मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है। जब अपील के उद्देश्य के लिए पढ़ा जाता है, तो इस प्रावधान का अर्थ है कि यदि मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है तो किसी अपीलार्थी या प्रतिवादी की मृत्यु अपील को कम नहीं करेगी। संहिता के आदेश XXII का नियम 2 उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसमें कई वादी या प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और [2021] 1 एस. सी. आर. का अधिकार होता है।

मुकदमा अकेले जीवित वादी (ओं) या अकेले जीवित प्रतिवादी (ओं) के खिलाफ रहता है। यही प्रक्रिया अपील में लागू होती है जहां कई अपीलकर्ताओं या उत्तरदाताओं में से एक की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार केवल जीवित अपीलार्थी (ओं) के पास रहता है, या

केवल जीवित उत्तरदाताओं के विरुद्ध। प्रक्रिया यह है कि न्यायालय को उस प्रभाव की प्रविष्टि रिकॉर्ड में करने की आवश्यकता है और अपील जीवित अपीलार्थी (ओं) के कहने पर या जीवित प्रतिवादी (ओं) के खिलाफ, जैसा भी मामला हो, आगे बढ़ना है। तथापि, संहिता के आदेश XXII के नियम 11 के साथ पठित नियम 4 के आधार पर, कई प्रत्यर्थियों में से किसी एक की मृत्यु के मामले में, जहां जीवित प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थी के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार नहीं है और उस मामले में भी जहां एकमात्र प्रत्यर्थी की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार बच जाता है, विचाराधीन प्रक्रिया यह है कि मृतक प्रत्यर्थी के कानूनी प्रतिनिधियों को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए; और यदि कानून द्वारा सीमित समय के भीतर इस तरह के प्रतिस्थापन के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता है, तो अपील मृत प्रत्यर्थी के खिलाफ समाप्त हो जाती है। [पैरा 41] [765-सी-एच; 766-ए-बी]

2.2 ऐसा मामला नहीं है कि प्रतिवादी 2 के लिए कोई कानूनी उत्तराधिकारी उपलब्ध नहीं थे। यह भी मामला नहीं है जहां की संपत्ति

उत्तरजीविता या अन्यथा। इसलिए, आदेश XXII सी. पी. सी. के नियम 2 की प्रयोज्यता को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है। मान लीजिए, प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए कदम नहीं उठाए गए थे 2 , जो 1988 के ए. एस. सं. 1887 में प्रत्यर्थी 3 थे। इसलिए, संहिता के आदेश XXII के नियम 4 का उप नियम (3) सीधे अमल में आया और प्रतिवादी 2 (प्रतिवादी 3 उसमें) के खिलाफ 16 से 18 प्रतिवादियों द्वारा दायर उक्त अपील को समाप्त कर दिया गया। [पैरा 42,42.1] [767-सी-ई]

सरदार अमरजीत सिंह कालरा (मृत) एल. आर. द्वारा और ओआरएस। वी. एलआर द्वारा प्रमोद गुप्ता (श्रीमती) (मृत)। और ओआरएस। (2003) 3 एस. सी. सी. 272 [2002] 5 पूरक। एस. सी. आर. 350-अनुसरण किया गया। पंजाब राज्य बनाम। नाथू राम एयर 1962 एससी 89: [1962]

2 एस. सी. आर. 636; कानूनी माध्यम से हेमरेड्डी (मृत) प्रतिनिधि v. रामचंद्र यल्लप्पा होस्मानी और

ओआरएस। (2019) 6 एससीसी 756: [2019] 7 एससीआर 262-निर्भर पर।

वेनिगाला कोटेश्वरम्मा बनाम। मालेम्पाती सुरयाम्बा

& ओआरएस।

2.3 वर्तमान मामले में, यह निर्विवाद है कि उच्च न्यायालय में प्रतिवादियों द्वारा 16 से 18 (ए. एस. नं.

यह सरल कारण है कि विचारण न्यायालय ने विशेष रूप से निष्कर्षों को वापस कर दिया था कि समझौता पूर्व। बी-10 वैध नहीं था और प्रतिवादी 16 से 18 (1988 के ए. एस. 1887 के अपीलार्थी) ने इसके तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं किए। निचली अदालत ने यह भी आदेश दिया था कि प्रतिवादी 13,14 और 16 अपने कब्जे में अचल संपत्तियों के संबंध में भारी लाभ के लिए उत्तरदायी थे। अन्नपर्णम्मा जब तक वे उन वस्तुओं को अपने कब्जे में नहीं ले लेते

वादी और प्रतिवादी 1 से 3 तक। समझौते की अयोग्यता के संबंध में ऐसे निष्कर्ष। बी-10 और विभाजन के लिए परिणामी डिक्री, कब्जे के वितरण और अपने लाभ की वसूली के लिए प्रतिवादी 2 द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त किया गया; और वाद संपत्तियों (संपत्ति सहित) में एक चौथाई हिस्से के लिए उसका हक

पूर्व द्वारा कवर किया गया। बी-10) भी अंतिम हो गया जब 16 से 18 प्रतिवादियों द्वारा दायर अपील ने उसे निरस्त कर दिया। यदि अपील की गई थी

के साथ आगे बढ़े और कथित समझौता पूर्व। बी-10 को बरकरार रखा गया था (जिसे उच्च न्यायालय ने वास्तव में किया है), असंगत फरमान अस्तित्व में आने के लिए बाध्य थे, और वास्तव में अस्तित्व में आए हैं। [पैरा 44] [77-जी-एच; 774-ए-डी] 2.4 उच्च न्यायालय ने उस पूर्व को अभिनिर्धारित करने के लिए आगे बढ़ाया है। बी-10 समझौता वादी और प्रतिवादी 1 से 3 पर वैध और बाध्यकारी है। डिक्री का यह हिस्सा बिल्कुल विपरीत है, और प्रतिवादी 2 के पक्ष में डिक्री के साथ अपरिवर्तनीय है, जिसने उक्त समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। बी-10 न तो वैध है और न ही प्रतिवादी 2 पर बाध्यकारी है। उच्च न्यायालय ने यह कहने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है कि वादी और प्रतिवादी 1 से 3 प्रतिवादी 16 से 18 के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए बाध्य थे। हालांकि बनाना

इस मुक़दमे में ऐसा अवलोकन, कि अन्नपूर्णा के उत्तराधिकारी थे प्रतिवादी 16 से 18 के पक्ष में एक बिक्री विलेख को निष्पादित करने के दायित्व के तहत, अपने आप में गंभीर रूप से संदिग्ध बना हुआ है, लेकिन किसी भी स्थिति में, इस अवलोकन को मृतक प्रतिवादी 2 के लिए नहीं बनाया जा सकता था। [पैरा 44.1] [774-ई-जी] [2021] 1 एस. सी. आर.

2.5 जब विसंगतियों की प्रचुरता पर लिखा जाता है

रिकॉर्ड के सामने, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि प्रतिवादी 16 से 18 द्वारा दायर अपील प्रतिवादी 2 (प्रतिवादी 3) के खिलाफ इसके उपशमन के बाद आगे नहीं बढ़ सकती थी। विभाजन के मुकदमे से संबंधित इस मामले में आदेश XXII नियम 2 सी. पी. सी. की प्रयोज्यता को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है जहां डिक्री थी

पहले से ही वादी और प्रतिवादी 1 से 3 के पक्ष में पारित किया जा चुका है। प्रतिवादियों द्वारा संपत्ति के ऐसे सह-भागीदारों के खिलाफ 16 से 18 तक की अपील निम्नलिखित के अभाव में आगे नहीं बढ़ सकती थीः सह-भागीदारों में से किसी एक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व। [पारस 45,46] [774-जी-एच; 775-ए-बी]

2.6 जहाँ तक वर्तमान अपील का संबंध है, हालाँकि ऐसा प्रतीत होता है कि वादी-अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से गलत सलाह के तहत कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन किया था।

प्रतिवादी 2 का लेकिन आवेदन में संकेत दिया कि उक्त प्रतिवादी उच्च न्यायालय में अपील के लंबित रहने के दौरान समाप्त हो गया था। प्रतिवादी 2 के कानूनी प्रतिनिधियों को उच्च न्यायालय में रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था, इसलिए अपीलार्थी को वर्तमान अपील में इस तरह के प्रतिस्थापन की मांग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस न्यायालय के समक्ष वादी की अपील निश्चित रूप से प्रतिवादी 2 के कानूनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में भी आगे बढ़ सकती है क्योंकि इस अपील की सफलता के मामले में, प्रतिवादी 2 के अस्तित्व में आने के मामले में किसी भी असंगत डिक्री की कोई संभावना नहीं है। विचारण न्यायालय की डिक्री वादी और प्रतिवादी 1 से 3 के पक्ष में रही थी और इस अपील की सफलता का परिणाम केवल विचारण न्यायालय की डिक्री की बहाली का होगा, जिसका मृतक प्रतिवादी 2 की संपत्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस अपील को केवल इस आधार पर अनुमति दी जानी चाहिए कि उच्च न्यायालय (1998 का ए. एस. 1887) के समक्ष 16 से 18 प्रतिवादियों की अपील को प्रतिवादी 2 (प्रतिवादी 3) के खिलाफ इसके उपशमन के बाद अक्षम बना दिया गया था और यह उत्तरदायी था।

इस तरह से बर्खास्त किया जाए। [पारस 47,48] [775-एफ-एच; 776-ए-सी]

3.1 वसीयत में (उदा. बी-9), वसीयत करने के अलावा,

अन्नपूर्णा ने अपनी माँ (वसीयतदार) को प्रतिवादी 15 के पक्ष में एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित करने का भी निर्देश दिया, जो समझौते के अनुसार उससे शेष बिक्री पर विचार प्राप्त करने के बाद वेनिगल कोटेश्वरम्मा बनाम।

मालेम्पाती सुरयाम्बा

& ओआरएस।

उसके पक्ष में निष्पादित किया गया; और कि अन्नपूर्णा ने अपनी माँ को भी ऋण चुकाने का निर्देश दिया। वसीयत में उल्लिखित समझौता कोई और नहीं बल्कि पूर्व था। बी-10। दोनों दस्तावेजों का यह अचूक मिश्रण Ex। बी-9 और एक्स। बी-10 प्राथमिक कारण था कि निचली अदालत ने संबंधित मामलों की जांच की थी।

अन्नपूर्णा की बहन। [पैरा 50] [776-ई-एच] 3.2 विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए हैं कि वसीयत (पूर्व। बी-9) एक अत्यधिक संदिग्ध दस्तावेज था और प्रस्तावक संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करने में विफल रहे हैं। जाँच करते समय

3.3 ट्रायल कोर्ट ने मामले की अपने सही परिप्रेक्षय में जांच की थी और सही निष्कर्ष पर पहुंचा था कि बिक्री के लिए समझौता (उदा. बी-10) उतनी ही अमान्य और अविश्वसनीय थी जितनी वसीयत (एक्स। बी-9)। उचित विश्लेषण और ठोस तर्क के आधार पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान किया गया। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप करने में गलती की है

विचाराधीन समझौते के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष। [पैरा 59] [781-सी-डी]

एच. वेंकटचाला अयंगर बनाम बी. एन. थिम्माजम्मा एयर

1959 एस. सी. 443 [1959] सप. एस. सी. आर. 426; राज्य

राजस्थान बनाम. राव राजा कल्याण सिंह (उनके एलआरएस द्वारा मृत) (1972) 4 एससीसी 165; संपदा शुल्क नियंत्रक v.

कांतिल

ाल [2021] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

त्रिकमलाल (1976) 4 एससीसी 643: [1977] 1 एस. सी. आर. 9; शुभ करण बुबना बनाम। सीता सरन बुबना और ओआरएस। (2009) 9

एससीसी 689: [2009] 14 एस. सी. आर. 40; बैंक ऑफ इंडिया बनाम अभय

डी. नरोत्तम और अन्य। (2005) 11 एससीसी 520 संदर्भित को

मामला कानून संदर्भ

[1959] सप. एससीआर 426

संदर्भित किया गया है

पै

रा 24

(1972) 4 एससीसी 165

संदर्भित किया गया है

पै

रा 31

[1977] 1 एस. सी. आर 9

पै

रा 37

संदर्भित किया गया है

[2009] 14 एससीआर 40

पै

रा 37

संदर्भित किया गया है

(2005) 11 एस. सी. सी. 520

संदर्भित किया गया है

पै

रा 39

[1962] 2 एससीआर 636

उस पर भरोसा करें

पै

रा 43.1

[2002] 5 पूरक। एससीआर 350

पीछा किया।

पै

रा 43.2

[2019] 7 एससीआर 262

उस पर भरोसा करें

पै

रा 43.3

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 9546

2013 का

उच्च न्यायालय के 20.03.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1988 के ए. एस. सं. 1887 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश का।

सुश्री फिल्जा मूनिस, जी. रामकृष्ण प्रसाद, पी. वेंकट रेड्डी,

प्रशांत त्यागी, पी. श्रीनिवास रेड्डी, मेसर्स। वेंकट पलवाई लॉ एसोसिएट्स, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

परिचयात्मक और संक्षिप्त रूपरेखा

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील फैसले के खिलाफ निर्देशित है।

और 1998 के ए. एस. सं. 1887 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पारित 20.03.2009 दिनांकित डिक्री और विभाजन और संबंधित राहतों के लिए वादी-अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायाधीश, नरसरावपेट, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश के न्यायालय में दायर एक मुकदमे से उत्पन्न होती है, जो 1980 का ओ. एस. सं. 35 (1978 का पुराना ओ. पी. सं. 106) है।

2. इस मामले की परिस्थितियों और प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए

इसमें शामिल, उपयोगी यह होगा कि मामले की एक संक्षिप्त रूपरेखा तैयार की जाए

शुरुआत करें।

वेनिगाला कोटेश्वरम्मा बनाम। मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

प्रवेश का विवरण। 2.2 . हालाँकि, वादी की सौतेली माँ के भाई, प्रतिवादी 4 के नेतृत्व में प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों ने आरोप लगाया कि वादी की सौतेली माँ ने दिनांक 05.11.1976 (Ex. बी-10); और यह कि उसने एक वसीयत भी निष्पादित की थी जिसकी तारीख 15.06.1978 (एक्स। बी-9) उसकी माँ और एक परिचारक के पक्ष में, प्रतिवादी क्रमशः 14 और 13। के माध्यम से

बाद की दलीलों में, वादी ने बिक्री के लिए कथित समझौते के साथ-साथ कथित वसीयत को भी अस्वीकार कर दिया और विवादित कर दिया।

2.3 . मुकदमे का फैसला निचली अदालत ने अपने फैसले के माध्यम से किया था

और प्रतिवादियों के खिलाफ प्रमुख मुद्दों पर विशिष्ट निष्कर्षों के साथ 29.04.1988 दिनांकित डिक्री। विचारण न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि बिक्री के लिए कथित समझौते और कथित वसीयत (उदा. बी-10 और एक्स। बी-9 क्रमशः), झूठे और मनगढ़ंत थे।

2.4 . निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में दो नियमित अपील दायर की गईं: 16 से 18 प्रतिवादियों द्वारा 1988 का ए. एस. सं. 1887, जो मृतक प्रतिवादी 15 (बिक्री के लिए कथित समझौते के तहत दावा करने वाले) के कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में रिकॉर्ड पर थे; और दूसरा प्रतिवादी 4,13 और 14 (कथित वसीयत के तहत दावा करना) द्वारा 1989 का ए. एस. संख्या 1433 है। दोनों अपीलों में, मुख्य प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादी वादी और उसके भाई-बहन (प्रतिवादी 1 से 3) थे, जिन्हें प्रतिवादी 1 से 4 के रूप में रखा गया था।

2.5 . उच्च न्यायालय में अपीलों के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी 2, वादी का भाई-अपीलार्थी (जो उन अपीलों में प्रतिवादी 3 था), 09.05.1989 पर समाप्त हो गया। उसके कानूनी प्रतिस्थापन के लिए कोई कदम नहीं

किसी भी अपील में प्रतिनिधियों को लिया गया था। आक्षेपित निर्णय के कारण-शीर्षक से पता चलता है कि 25.04.2006 पर, प्रतिवादी 4,13 और 14 (1989 का AS नंबर 1433) द्वारा दायर अपील को मृतक प्रतिवादी 2 के खिलाफ खारिज कर दिया गया था। लेकिन ऐसा कोई आदेश नहीं है।

दूसरी अपील (1988 का ए. एस. सं. 1887) में पारित किया गया।

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.6 . उपरोक्त अपीलों में, कथित से संबंधित प्रश्न

उच्च न्यायालय ने विचाराधीन वसीयत के संबंध में निचली अदालत के निष्कर्षों की पुष्टि की है और कहा है कि वसीयत वैध नहीं थी और वादी या प्रतिवादी 1 से 3 पर बाध्यकारी नहीं थी। तथापि, उच्च न्यायालय ने बिक्री के लिए कथित समझौते के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को उलट दिया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि यह वादी और प्रतिवादी 1 से 3 पर बाध्यकारी था, जो प्रतिवादी 16 से 18 के पक्ष में बिक्री विलेख को निष्पादित करने के लिए बाध्य थे। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि उक्त समझौते (वाद ए अनुसूची की वस्तु संख्या 1) की विषय वस्तु बनाने वाली संपत्ति विभाजन के लिए उपलब्ध नहीं होगी और तदनुसार ट्रायल कोर्ट के डिक्री को संशोधित किया है। 2.7 . उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित निर्णय और डिक्री से व्यथित, वादी-अपीलार्थी ने इस अपील को प्राथमिकता दी है। दिलचस्प बात यह है कि

इस अपील में, उक्त मृत प्रतिवादी 2 को प्रोफार्मा प्रतिवादी 5 के रूप में प्रस्तुत किया गया था; और उसकी मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, उसके कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन और देरी की माफी की मांग करने वाले आवेदन वादी-अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, अन्य बातों के साथ, कि प्रतिवादी 2 उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान समाप्त हो गया था और उच्च न्यायालय में उसके कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे। हालाँकि, इस तरह से दायर किए गए आवेदनों को माननीय चैंबर न्यायाधीश द्वारा 16.07.2012 पर खारिज कर दिया गया था।

3. जब यह अपील हमारे सामने सुनवाई के लिए आई थी तो उपरोक्त स्थिति अभिलेख की स्थिति थी। हमने इसके लिए विद्वान सलाह सुनी है

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पार्टियों ने उन्हें अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने की भी अनुमति दी है।

प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलू

4. उपरोक्त रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए, हम आवश्यक तथ्यों और पृष्ठभूमि पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं, जो अब तक बिंदुओं के लिए प्रासंगिक हैं।

इस अपील में निर्धारण के लिए उत्पन्न होना।

5. वादी-अपीलार्थी वेनिगल्ला कोटेश्वरम्मा, प्रतिवादी 1 चंद्र सीथम्मा और प्रतिवादी 3 चंद्र रंगनायकम्मा हैं।

बेटियाँ और प्रतिवादी 2 मालेम्पति राधाकृष्णमूर्ति उनकी पहली पत्नी अन्नपूर्णा से मालेम्पति कोंडियाह के पुत्र थे, जिनका वर्ष 1945 में या उसके आसपास निधन हो गया था। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद, वेनिगल कोटेश्वरम्मा बनाम।

मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

प्रस्तावक मालेम्पति कोंडिया ने उसी नाम से जानी जाने वाली एक अन्य महिला के साथ दूसरी शादी का संपर्क किया, जो कदम बन गई

अनुसूची ए में वर्णित संपत्तियाँ और शिकायत की अनुसूची बी में वर्णित चल संपत्तियाँ, वादी-अपीलार्थी द्वारा 21.07.1978 पर एक गरीब व्यक्ति के रूप में दायर की गई थीं, जिनके पास अदालत शुल्क का भुगतान करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। पक्षों के उपरोक्त संबंधों का वर्णन करने के बाद, वादी ने कहा कि वर्ष 1950 में या उसके आसपास, मालेमपति कोंडिया अपने बेटे मालेमपति राधाकृष्णमूर्ति (प्रतिवादी 2) से अलग हो गए। और अनुसूची ए में वर्णित संपत्तियाँ मालेम्पति कोंडिया के हिस्से में आईं, जिन्होंने अपनी दूसरी पत्नी अन्नपूर्णा पर इन संपत्तियों का निपटान करने के लिए आगे बढ़े। वादी ने आगे कहा कि विभाजन के बाद, अन्नपूर्णा अपने पति मालेम्पति कोंडिया के साथ अलग रह रही थी, जब तक कि वर्ष 1971 में उनकी मृत्यु नहीं हो गई और उसके बाद, वह विचाराधीन संपत्तियों की मालिक बन गई। वादी ने आगे कहा कि उसकी मृत्यु से चार साल पहले, अन्नपूर्णा को लकवा का दौरा पड़ा था और, अच्छे स्वास्थ्य में नहीं होने के कारण, वह मुख्य रूप से अपने नौकरों के साथ-साथ प्रतिवादी 2 और 3 पर भी निर्भर थी। वादी ने कहा कि अन्नपूर्णा की मृत्यु 17.06.1978 पर निर्वसीयत और निर्विवाद रूप से हुई।

6.1 . वादी ने अन्नपूर्णा की मृत्यु से पहले की संपत्तियों के संबंध में उनके लेन-देन का उल्लेख किया और विशेष रूप से कहा कि प्रतिवादी 5 और 6 को ए अनुसूची की वस्तु संख्या 1 में वर्णित संपत्ति पर पट्टेदार के रूप में शामिल किया गया था और उन्होंने मार्च, 1977 में गन्ना फसल के लिए अन्नपूर्णा को पट्टे की राशि का भुगतान किया था। वादी ने आगे कहा कि उक्त संपत्ति पर रतून फसल हुई थी, जिसके लिए प्रतिवादी 5 और 6 अन्नपूर्णा के उत्तराधिकारियों को सहमत किराए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। वादी ने यह भी कहा कि अन्नपूर्णा को अपनी संपत्तियों पर अच्छी आय मिल रही थी; हालाँकि उसने आसन्न भूमि कानूनों के कारण अपने पति द्वारा छोड़ी गई कुछ संपत्तियों को बेच दिया था, लेकिन अपने दिवंगत पति के निर्देशों के अनुसार वह उसकी मेहनत से कमाया था।

1 शिकायत को गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए आवेदन के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसे 1978 के ओपी 106 के रूप में गिना गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदन न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया था और इसलिए, मुकदमे में वाद माना गया था, जिसे 1980 के ओएस 35 के रूप में गिना गया था।

संपत्ति उनकी बेटियों और बेटे को समान हिस्से में मिलनी चाहिए, अन्नपूर्णा ने खुले तौर पर घोषणा की कि उन्होंने न तो कोई वसीयत निष्पादित की है और न ही अपनी संपत्तियों के संबंध में कोई अन्य प्रावधान किया है। वादी ने कहा कि अन्नपूर्णा की मृत्यु के बाद, वह और प्रतिवादी 1 से 3 उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के समान रूप से हकदार थे। 6.2 . इसके बाद, वादी ने अनुचित हस्तक्षेप और संपत्तियों के साथ हस्तक्षेप के बारे में व्यापक दावे किए।

स्वर्गीय अन्नपूर्णा के भाई 4 चपलमडुगु सत्यनारायणा द्वारा प्रतिवादी द्वारा प्रश्न। वादी ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी 4 ने बनाया

भाई-बहनों के बीच मतभेद जिनके लिए वे उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के विभाजन के संबंध में एक समझ पर नहीं आ सके

अपने तरीके से सवाल करें; कि उन्होंने अन्नपूर्णा की एक बैल और चार सोने की चूड़ियां बेची थीं और बिक्री की आय उनके पास पड़ी थी; और यह कि प्रतिवादियों के पक्ष में 7 से 11 धोखाधड़ी में प्राप्त किए गए थे। समझौता

भाई-बहनों के बीच मतभेद पैदा करने का तरीका। वादी ने यह भी आरोप लगाया कि एक सोने की चेन को अन्नपूर्णा द्वारा प्रतिवादी 12 के कहने पर एक बैंक में गिरवी रखा गया था, जो उसे भुनाने में विफल रहा। प्रतिवादी 7 से 12 तक से संबंधित ऐसे सभी कथनों और आरोपों को यहाँ विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे वर्तमान के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

अपील करें।

6.3 . शिकायत में प्रमुख आरोप प्रतिवादी 4 के खिलाफ निर्देशित किए गए थे जहां वादी ने आरोप लगाया कि उसने दोनों के बीच मतभेद पैदा किए थे।

भाई-बहन और धोखाधड़ी से अपने स्वयं के व्यक्तियों के पक्ष में मध्यस्थता के लिए समझौता प्राप्त किया; और मृत अन्नपूर्णा द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों को हड़पने के लिए झूठे ऋण पैदा कर रहा था। यह भी आरोप लगाया गया कि अन्नपूर्णा की मृत्यु के बाद, प्रतिवादी 4 और उसके परिवार के लोगों ने खुद को गलत तरीके से पेश किया और उसका अंगूठा ले लिया

खाली श्वेत पत्रों पर उनकी मृत्यु के तुरंत बाद दबाव

गलत लाभ कमाने का दृष्टिकोण '।

6.4 . वादी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी 13 अन्नपूर्णा का खेत सेवक था जो ए अनुसूची संपत्ति की वस्तु 7 के पशु शेड के एक हिस्से पर कब्जा कर रहा था और वेनिगल कोटेश्वरम्मा बनाम के लिए उसे बेदखल किया जाना चाहिए था।

मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

की मृत्यु के बाद शेड के कब्जे में रहने का कोई अधिकार नहीं है

अन्नपूर्णा।

6.5 . वादी ने आगे आरोप लगाया कि प्रतिवादी 4 द्वारा की गई धोखाधड़ी के बारे में पता चलने पर, उसने मध्यस्थों से संपत्तियों को विभाजित करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने तरीके से आगे बढ़ रहे थे; और उसके पास वादी ए अनुसूची और बी अनुसूची संपत्तियों में अपने हिस्से का दावा करने के लिए विभाजन के लिए मुकदमा दायर करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। वादी ने जोर देकर कहा कि वह एक-चौथाई हिस्से की हकदार थी और प्रतिवादी 1 से 3 विचाराधीन संपत्तियों के शेष तीन-चौथाई हिस्से के हकदार थे।

6.6 . उपरोक्त कथनों के साथ, वादी-अपीलार्थी ने विभाजन और उसके एक अलग अधिकार के वितरण के लिए राहत का दावा किया वादी ए और बी अनुसूची संपत्तियों में चौथा हिस्सा उन्हें चार समान शेयरों में विभाजित करने के बाद; प्रतिवादी 5 और 6 को वादी के लाभ के लिए अदालत में पट्टे की राशि का भुगतान करने के निर्देश के लिए; और

वाद की तारीख से वादी को उसके हिस्से के कब्जे में रखने की तारीख तक वादी ए अनुसूची की संपत्तियों के अपने लाभों का पता लगाना।

6.7 . वाद से जुड़ी अनुसूचियाँ ए और बी में वादी

उन संपत्तियों का वर्णन किया जो उसके दावे का विषय थीं। में।

अनुसूची ए में वादी ने अचल संपत्ति की सात वस्तुओं का वर्णन किया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मद 1 में उल्लिखित भूमि का अंश इस मामले में विवाद का मूल है। अनुसूची बी में, वादी ने चल संपत्ति की 10 वस्तुओं का वर्णन किया है।

6.8 . इस स्तर पर यह इंगित किया जा सकता है कि प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों द्वारा की गई दलीलों के मद्देनजर, एक संशोधन किया गया था

प्रतिवादी 14 और 15 के पक्ष में अभियोग और उन कथनों को सम्मिलित करने के साथ जो अनिवार्य रूप से प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों द्वारा किए गए दावों के खंडन में थे। इन पहलुओं को थोड़ी देर बाद और प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों द्वारा की गई दलीलों पर ध्यान देने के बाद विस्तार से बताया जाएगा। 7. जैसा कि देखा गया है, वादी-अपीलार्थी के भाई-बहनों ने मुकदमे का विरोध नहीं किया और वास्तव में, प्रतिवादी 2 और 3 ने एक लिखित बयान दायर किया

8. हालाँकि, प्रतिवादी 4 और कुछ अन्य प्रतिवादियों द्वारा मुकदमे का पुरजोर विरोध किया गया, जिन्होंने उनके द्वारा दायर लिखित बयान को अपनाया। प्रतिवादी 4. प्रतिवादी 4 [2021] 1 एस. सी. आर. के लिखित बयान में ली गई दलीलें।

इस मामले में प्रतिस्पर्धा का मूल है और इसलिए, आवश्यक विवरणों में भी ऐसा ही देखा जा सकता है।

8.1 . अपने लिखित बयान में, प्रतिवादी 4 ने पक्षकारों के संबंधों को स्वीकार किया जैसा कि शिकायत में उल्लेख किया गया है, लेकिन अन्य सभी का विशिष्ट खंडन किया है।

प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादी ने जोर देकर कहा कि अन्नपूर्णा के वादी और प्रतिवादियों 1 से 3 के साथ अच्छे संबंध नहीं थे और वह अपनी माँ से अधिक जुड़ी हुई थी, जो परेशान परिस्थितियों में उसकी देखभाल करती थी। यह आगे कहा गया कि अन्नपूर्णा ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ संपत्तियों का निपटान किया; और यह कि उनकी भूमि से होने वाली आय शायद ही पर्याप्त थी, बल्कि उन्हें कृषि में नुकसान हो रहा था। 8.2 . उपरोक्त अभिकथनों के अलावा, प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादी ने लिखित बयान में विशिष्ट रुख अपनाया कि वादी और प्रतिवादी 1 से 3 इस तथ्य से अवगत थे कि 05.11.1976 पर, अन्नपूर्णा ने वादी ए अनुसूची की वस्तु 1 में उल्लिखित संपत्ति को एक मालेम्पति सत्यनारायणवर प्रसाद को विचार का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के बाद बेच दिया था और बिक्री के लिए एक समझौते को निष्पादित किया था, जबकि विक्रेता को भूमि के कब्जे में रखा गया था, जिसने बदले में उसे प्रतिवादी 5 और 6 को पट्टे पर दिया था। प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादी ने आगे आरोप लगाया कि वादी और प्रतिवादी 1 से 3 को इस तथ्य के बारे में भी पता था कि अन्नपूर्णा ने अपनी माँ चापलामड्डगु पुन्नम्मा और प्रतिवादी 13, किलारू गोपाल राव के पक्ष में अपनी संपत्तियों को वसीयत करते हुए एक दृढ़ और मन की स्थिति में 15.06.1978 पर एक वसीयत को निष्पादित किया था; और अपनी माँ को समझौते के अनुसार शेष बिक्री पर विचार प्राप्त करने के बाद उक्त विक्रेता के पक्ष में एक पंजीकृत बिक्री विलेख को निष्पादित करने और अपने ऋणों का निर्वहन करने का भी निर्देश दिया। चुनाव लड़ने वाला प्रतिवादी

यह भी अभिकथन लिया कि उत्तराधिकारियों ने जिगलला कोटेश्वरम्मा बनाम पर कब्जा कर लिया था।

मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]क्रमशः उन्हें संपत्ति विरासत में दी गई। इन अभिकथनों को, प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों के मामले के आधार पर और वर्तमान मामले में विवाद पैदा करने के लिए, उपयोगी रूप से निम्नानुसार निकाला जा सकता है:

मालेम्पति अन्नपूर्णा और शिकायत ए की वस्तु 1 को बेच दिया एक मालेमपति सत्यनारायणवर प्रसाद के लिए अनुसूची, कि

उसने विचार का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त किया और

उसके पक्ष में बिक्री का एक समझौता निष्पादित किया और उसे रखा

भूमि का कब्जा, कि विक्रेता सत्यनारायणवर प्रसाद ने उक्त भूमि प्रतिवादियों को 5 और 6 रुपये के किराए पर पट्टे पर दी थी। 250 / - प्रति एकड़ प्रति वर्ष, 2 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 1977-78 और 1978-79, और यह कि उक्त पट्टे के अनुसरण में प्रतिवादी 5 और 6 ने भूमि में प्रवेश किया है और इसका आनंद लिया है

उसी तरह गन्ना उगाकर; कि प्रतिवादी 5 और 6 ने विधिवत रूप से अपनी जमीन का किराया दिया- भगवान सत्यनारायणवर प्रसाद। उक्त पट्टा अवधि की समाप्ति के बाद, उक्त सत्यनारायणवर प्रसाद ने उक्त भूमि को फिर से चंद्र आदिनारायण को पट्टे पर दे दिया था, जिन्होंने उसमें गन्ना भी उगाया था। इसलिए यह आरोप लगाना गलत है कि स्वर्गीय अन्नपूर्णा की मृत्यु प्रतिवादी 5 और 6 को पट्टे पर देकर ए अनुसूची की वस्तु 1 के साथ हुई थी। 4. स्वर्गीय मालेम्पति अन्नपूर्णा ने एक तारीख वाली वसीयत का निष्पादन किया

15 जून, 1978 एक स्वस्थ और मन की स्थिति में

अपनी माँ के पक्ष में अपनी संपत्तियों को वसीयत करते हुए,

गोपालराव ने उसमें विस्तार से बताया और आगे उन्हें निर्देशित किया। माता के पक्ष में एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए

आइटम 1 के संबंध में मालेमपति सत्यनारायणवर प्रसाद बिक्री की शेष राशि प्राप्त करने के बाद एक अनुसूची

बिक्री के समझौते के अनुसार उससे विचार

उसके पक्ष में उसे मार डाला। टेस्टैट्रिक्स ने भी निर्देशित किया

उसकी माँ ऋण चुकाने के लिए। वादी और प्रतिवादी 1 से 3 उक्त वसीयत की सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ हैं और उन्होंने वादी के एकमात्र नाम पर इस मुकदमे को दायर करने में एक साथ काम किया है, उन कारणों के लिए जो उन्हें सबसे अच्छी तरह से पता है कि वे वसीयतकर्ताओं में से एक, चापलामडुगु पुन्नम्मा और उपरोक्त से भी बच रहे हैं।

वेंडी ने कहा, मालमपति सत्यनारायणवर प्रसाद।

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. उत्तराधिकारियों में से एक, चापलामादुगु पुन्नम्मा ने लिया

मद 2,3,5,6 और मद 7 के हिस्से का कब्जा।, अको के बारे में

161⁄2 सेंट की साइट जिसमें 4 बीमों का एक मध्य घर शामिल है,

तीन टाइल वाले वरन्ध और उसमें एक टाइल वाला घर लगा हुआ है।

वाद ए अनुसूची के उत्तर पूर्वी कोने में, के अनुसार

वसीयत की शर्तें, वसीयतनामा की मृत्यु के तुरंत बाद,

6. वसीयतनामा अन्नपूर्णा ने भी उक्त के तहत वसीयत की 13 वें प्रतिवादी, किलारू गोपालराव आइटम 4 और ए के पक्ष में होगा

मद 7 का भाग।, 31⁄2 सेंट की साइट जिसमें एक रसोईघर शामिल है

एक अनुसूची के रूप में उसने और उसकी पत्नी ने अपनी सेवा प्रदान की

और उन्हें विरासत में दी गई उनकी संबंधित संपत्तियों का आनंद अपने अधिकार और शीर्षक में "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

8.3 . प्रतिवादी 4 ने संबंधित अन्य वाद अभिकथनों से भी इनकार किया

कथित मध्यस्थों ने कहा कि उनके पक्ष में कोई समझौता नहीं किया गया था। संक्षेप में, प्रतिवादी 4 का मामला इस आशय का था कि न तो वादी और न ही प्रतिवादी 1 से 3 स्वर्गीय अन्नपूर्णा की संपत्तियों के हकदार थे।

9. यह निचली अदालत के दिनांकित फैसले की सामग्री से देखा जाता है।

29.04.1988 कि एक अलग लिखित बयान के माध्यम से, प्रतिवादी 11 ने मध्यस्थता के लिए कथित समझौते से इनकार किया और अन्नपूर्णा की चल संपत्ति से निपटने से भी इनकार किया। इस प्रतिवादी ने कहा कि उसे अनावश्यक रूप से फंसाया गया था और वह न तो आवश्यक था और न ही मुकदमे में एक उचित पक्ष था। यह भी देखा गया है कि अभियुक्त

9 और 10 ने प्रतिवादी 11 के इस लिखित बयान को अपनाया।

10. जैसा कि देखा गया है, शुरू में 13 व्यक्तियों को प्रतिवादी के रूप में रखा गया था।

सूट। हालाँकि, प्रतिवादी 4 ने अपने लिखित बयान में दो व्यक्तियों के पक्ष में कथित वसीयत के बारे में दावा किया, एक उसकी माँ चापलामडुगु पुन्नम्मा और दूसरा प्रतिवादी 13, किलारू वेनिगल कोटेश्वरम्मा बनाम।

मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

प्रतिवादी 4) को प्रतिवादी 14 के रूप में शामिल किया गया था; और कथित विक्रेता मालेम्पति सत्यनारायणवर प्रसाद राव को मुकदमे में प्रतिवादी 15 के रूप में शामिल किया गया था। यह आगे प्रतीत होता है कि वादी ने वादी में पैराग्राफ 7 (ए) को इस दावे के साथ जोड़ा कि प्रतिवादी 14 वसीयतदार नहीं था और विचाराधीन संपत्ति के कब्जे में नहीं था; और वसीयत के रूप में सेटअप गलत और मनगढ़ंत था। वादी ने प्रतिवादी 15 के पक्ष में समझौते के निष्पादन से भी इनकार किया और कहा कि प्रतिवादी 14 प्रतिवादी 15 के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने का निर्देश कभी नहीं दिया गया। वादी ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों 14 और 15 का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था और उनके दावों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

11. वाद में उपरोक्त संशोधन के अलावा, वादी ने एक प्रत्युत्तर भी दायर किया, जिस पर विचारण न्यायालय ने विधिवत ध्यान दिया।

इसके दिनांकित 29.04.1988 निर्णय का पैरा 9, जिसे वादी द्वारा प्रत्युत्तर के रूप में लिए गए कथनों के सार पर ध्यान देने के लिए उपयोगी रूप से यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। निचली अदालत ने अपने फैसले में इस प्रकार उल्लेख किया:

" 9. वादी ने निम्नलिखित कथनों के साथ एक प्रत्युत्तर दायर किया। अन्नपूर्णा ने ए अनुसूची की वस्तु 1 को सत्यनारायण वर प्रसाद को नहीं बेचा और न ही उन्हें कभी ध्यान दिया गया और न ही कभी। विक्रेता को मार डाला या संपत्ति के कब्जे में डाल दिया। यह

चौथे प्रतिवादी द्वारा अपने दोस्तों और सहयोगियों के समर्थन से। अभियोग के पढ़ने से ही यह अप्राकृतिक और असहनीय है। यह गलत है कि वसीयत और उत्तराधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। वसीयत में उल्लिखित प्रवृत्तियाँ झूठी और मनगढ़ंत हैं। यह कहना गलत है कि अन्नपूर्णा के पास बी अनुसूची की संपत्तियों की 1 से 4,8 से 10 वस्तुएं नहीं थीं और न ही उनके पास थीं। यह कहना गलत है कि अन्नपूर्णा अच्छी स्थिति में नहीं थीं [2021] 1 एस. सी. आर.

वादी के साथ शर्तें और वह अपनी माँ से जुड़ी हुई थी और

वह अपने अंतिम दिनों में अपनी सेवाओं में भाग ले रही थी। मां.

स्वयं काफी बूढ़ी थी और उसने कुछ भी नहीं दिया होगा।

माँ के रूप में अन्नपूर्णा की सेवा स्वयं निर्भर थी

दूसरों की सेवाओं के लिए "।

12. संबंधित के रुख के बारे में कथा को पूरा करने के लिए

पक्षकार, यह भी देखा जा सकता है कि प्रतिवादी 5,6,12 और 13 ने एक दायर किया

प्रतिवादी के लिखित बयान को स्वीकार करते हुए ज्ञापन 4. नए जोड़े गए प्रतिवादियों 14 और 15 ने उसी प्रभाव के लिए एक और ज्ञापन दायर किया, जिसे अपनाया गया।

प्रतिवादी का लिखित बयान 4. यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी 15 की मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई और उसके कानूनी प्रतिनिधियों, पत्नी और बच्चों को 16 से 18 प्रतिवादियों के रूप में रिकॉर्ड में लिया गया, जिन्होंने कोई अलग लिखित बयान भी दायर नहीं किया। 2.

13. यह पहले ही देखा जा चुका है कि वादी और प्रतिवादी 1

3 के लिए प्रस्तावक मालेमपति कोंडियाह के बच्चे हैं और में दावा 2 अंततः विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के व्यापक दृष्टिकोण के लिए, विचारण न्यायालय के निर्णय के कारण शीर्षक और अभिलेख पर अन्य सामग्री के विवरण को उपयोगी रूप से निम्नानुसार देखा जा सकता है:

वादी वेनिगल्ला कोटेश्वरम्मा

वी.

प्रतिवादी

1. चंद्र सीथम्मा

2. मालेमपति राधाकृष्णमूर्ति

3. चंद्र रंगनायकम्मा

4. चापलमडुगु सत्यनारायणा

7. बोल्लेपल्ली पेडा वेंकैया

8. मालेम्पति शेषय्या

9. किलारू वेंकट सुब्बैया

11. चापलमड्डगु गोपाल राव

12. चापल अमादुगु रामकृष्ण अंजनोयुलु उर्फ गोवर्धन

14. चापलमड्डगु पुन्नम्मा

15. मालेमपति सत्यनारायणवर प्रसाद राव (निधन)

(डी-14 और डी-15 को आई. ए. में आदेश के अनुसार पूरक प्रतिवादियों के रूप में जोड़ा गया। सं. 41 /

84 दिनांकित 24.03.1986)

16. मालमपति सूर्यम्बा

17. मालेमपति मधुसूदन राव

18. मालेमपति दुर्गम्बा

(डी-16 से 18 को डी-15 के कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था)

वेनिगाला कोटेश्वरम्मा बनाम। मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

मुकदमा अनिवार्य रूप से मालेमपति कोंडिया की दूसरी पत्नी अन्नपूर्णा द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के संबंध में रहा है, जो वादी और प्रतिवादी 1 से 3 की सौतेली माँ थी। को ध्यान में रखते हुए

इस मामले में किए गए बयान और उठाए गए सवाल, स्वर्गीय अन्नपूर्णा के साथ कुछ प्रमुख प्रतिद्वंद्वी दलों के संबंधों पर ध्यान देना भी उचित है। यह पहले ही देखा जा चुका है कि मुख्य प्रतियोगी, प्रतिवादी 4, अन्नपूर्णा का भाई था। आगे यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी 16 मालमपति सूर्यम्बा, जो बाद में दिनांकित 05.11.1976 की बिक्री के समझौते में कथित विक्रेता के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में दर्ज किया गया था, अन्नपूर्णा की बहन थी। इसलिए,

उक्त समझौते के तहत कथित विक्रेता, अर्थात् मालेम्पति सत्यनारायनावर प्रसाद राव, प्रतिवादी 15, बहनोई था।

(बहन का पति) अन्नपूर्णा का। इसके अलावा, कथित वसीयत दिनांक 15.06.1978 के तहत कथित उत्तराधिकारियों में से एक, अर्थात् चापलामड्डगु पुन्नम्मा, जिसे प्रतिवादी 14 के रूप में शामिल किया गया था, की माँ थी। अन्नपूर्णा। उक्त वसीयत के तहत एक अन्य प्रतिनिधि, किलारू गोपाल राव, जो पहले से ही प्रतिवादी 13 के रूप में रिकॉर्ड में था, प्रत्यक्ष रूप से पक्षों से संबंधित नहीं था, लेकिन कहा जाता था कि वह पक्षकारों का परिचारक/खेत सेवक था।

अन्नपूर्णा।

14. हम इस स्तर पर ही मामले की कुछ उल्लेखनीय विशेषताओं का संकेत देने के लिए प्रेरित हैं। अन्नपूर्णा की उम्र लगभग 45 वर्ष थी।

उसकी मृत्यु का समय; वह 17.06.1978 पर समाप्त हो गई और कथित तौर पर उसकी मृत्यु से दो दिन पहले वसीयत को निष्पादित किया; और उस समय, उसकी माँ, वसीयत के तहत वसीयतियों में से एक, लगभग 80 वर्ष की थी। इसके अलावा, उक्त वसीयत में, अन्नपूर्णा ने कथित तौर पर अपनी मां को प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित बिक्री समझौते के अनुसार शेष बिक्री पर विचार प्राप्त करने के बाद प्रतिवादी के पक्ष में एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित करने का निर्देश दिया; और अपनी मां को ऋण चुकाने का भी निर्देश दिया।

15. पक्षकारों की दलीलों पर, विचारण न्यायालय ने विचारण के लिए 12 मुद्दों का निपटारा किया, जिन पर निम्नानुसार ध्यान दिया जा सकता है:

" 1. क्या प्रतिवादियों द्वारा अनुरोध की गई वसीयत दिनांकित 15.6.1978 है 4

और 11 सच है, वैध है और उस पर कार्रवाई की गई है?

2. क्या ए अनुसूची के आइटम I का अनुरोध स्वर्गीय मालमपति ने किया था प्रतिवादियों 5 और 6 के लिए अन्नपूर्णा और उनकी किरायेदारी मौजूद है और क्या वे मुकदमे के लिए आवश्यक पक्षकार हैं?

3. क्या ए अनुसूची की पहली वस्तु स्वर्गीय मालम्पती अन्नपूर्णा ने मालेम्पती सत्यनारायण वर प्रसाद को बेच दी थी और उसे अपने कब्जे में ले लिया था?

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. क्या चापलामडुगु पुन्नम्मा एक आवश्यक और उचित है सूट के लिए पार्टी?

5. क्या वादी विभाजन का हकदार है और यदि ऐसा है तो विभाजन के लिए उत्तरदायी गुण क्या हैं और किस हिस्से के लिए है

वादी का अधिकार है?

6. क्या स्वर्गीय मालमपति अन्नपूर्णा की मृत्यु हो गई थी और

शिकायत बी अनुसूची के मद 1 से 4 और 8 से 10 के पास है?

7. क्या वादी और प्रतिवादी 1 से 3 वादी ए और बी अनुसूची संपत्तियों और उसी के विभाजन के हकदार हैं?

8. क्या यह मुकदमा पक्षकारों के गलत और गैर-सहयोगी के लिए बुरा है?

9. क्या 12 वें प्रतिवादी ने स्वर्गीय मालमपति को गिरवी रखा था

अन्नपूर्णा की सोने की चेन और वह एक आवश्यक पक्ष नहीं है

सूट?

10. क्या प्रतिवादी 5 और 6 पट्टे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं

राशि?

11. क्या वादी बहुत अधिक लाभ का हकदार है, यदि है तो किस दर पर

दर और किससे?

12. किस राहत के लिए, यदि कोई हो? " 3

16. साक्षय में, वादी वेनिगल्ला कोटेश्वरम्मा ने खुद को पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के रूप में एक हस्तलेखन विशेषज्ञ के रूप में जांच की। दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने 13 गवाहों से पूछताछ की। प्रमुख प्रतियोगी, चापलामडुगु सत्यनारायणा (प्रतिवादी 4) ने डी. डब्ल्यू.-1 के रूप में अपदस्थ किया। वसीयत के लेखक की डी. डब्ल्यू.-2 के रूप में जाँच की गई; वसीयत के प्रमाणक की डी. डब्ल्यू.-3 और डी. डब्ल्यू.-13 के रूप में जाँच की गई; वसीयत के तहत वसीयतकर्ताओं में से एक, किलारू गोपाल राव (प्रतिवादी 13), डी. डब्ल्यू.-4 के रूप में जाँच की गई; और वसीयत के तहत एक अन्य वसीयतकर्ता,

चापलामडुगु पुन्नम्मा (प्रतिवादी 14) की डी. डब्ल्यू. 5 के रूप में जाँच की गई। बिक्री के लिए कथित समझौते के संबंध में, विक्रेता मालेमपति सत्यनारायणवर प्रसाद राव (प्रतिवादी 15) की मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी, मालमपति सूर्यम्बा (प्रतिवादी 16) को डी. डब्ल्यू.-6 के रूप में अपदस्थ कर दिया गया; और समझौते के लेखक और प्रमाणक से डी. डब्ल्यू.-7 और डी. डब्ल्यू.-8 के रूप में पूछताछ की गई।

3 मुद्दों में विभिन्न टंकण संबंधी त्रुटियाँ हैं जो विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति में पुनः प्रस्तुत की गई हैं। हालाँकि, हमने सामग्री के सार को इंगित करने के लिए अपने सामने रखी गई प्रतियों से मुद्दों को निकाला है।

प्रस्ताव जिन पर पक्षकार मतभेद में थे और वे प्रश्न जो मामले में निर्धारण के लिए पड़े थे।

वेनिगाला कोटेश्वरम्मा बनाम। मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

क्रमशः। यह साबित करने के लिए कि बिक्री प्रतिफल की राशि की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, प्रतिवादी 15 ने अपनी जमीन बेच दी और पैसे भी उधार लिए, प्रतिवादियों ने डी. डब्ल्यू.-10 और डी. डब्ल्यू.-11 की जांच की। पक्षों ने कथित अपंजीकृत दस्तावेजों सहित विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किए।

प्रतिवादी का 15 (उदा. बी-10)। अन्नपूर्णा द्वारा निष्पादित विभिन्न बिक्री विलेखों के पंजीकरण उद्धरण और प्रतिवादी 15 द्वारा निष्पादित बिक्री विलेखों सहित कई अन्य दस्तावेजों को भी साक्षय में प्रदर्शित किया गया था। प्रतिवादियों ने अलग-अलग लोगों द्वारा अन्नपूर्णा की भूमि के विभिन्न भागों के उपयोग के संबंध में विभिन्न रसीदें भी प्रस्तुत कीं। लोग।

विचारण न्यायालय द्वारा दिनांकित निर्णय और डिक्री 29.04.1988

17. साक्षय लेने और प्रतिद्वंद्वी पक्षों को सुनने के बाद, निचली अदालत मामले में शामिल मुद्दों को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ी अपने निर्णय दिनांक 29.04.1988 के माध्यम से।

17.1 . विचारण न्यायालय के निर्णय की जांच करते समय, यह प्रकट हो सकता है

इन दो दस्तावेजों से संबंधित होना अपरिहार्य था क्योंकि यह सुझाव दिया गया था कि वसीयत (उदा. बी-9), वसीयतकर्ता अन्नपूर्णा ने वसीयत करने के अलावा, अपनी वसीयतकर्ता माँ (प्रतिवादी 14) को प्रतिवादी 15 के पक्ष में एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित करने का भी निर्देश दिया, निष्पादित समझौते के अनुसार उससे शेष बिक्री पर विचार प्राप्त करने के बाद। उसके पक्ष में; और उसने अपनी माँ को ऋण चुकाने का भी निर्देश दिया। दस्तावेज़ में ऐसे पाठ जो अन्नपूर्णा की वसीयत के रूप में प्रस्तावित किए गए थे

(Ex. बी-9), लिखित बयान में इस दावे के साथ कि अन्नपूर्णा ऋण से जूझ रही थी, बलपूर्वक, ट्रायल कोर्ट का नेतृत्व किया

इन दोनों दस्तावेजों की वैधता के प्रश्नों की समान रूप से जांच करें।

18. इस मामले में शामिल प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, टिप्पणियों और निष्कर्षों पर करीब से नज़र डालना आवश्यक प्रतीत होता है ट्रायल कोर्ट, जिसे हालांकि मुद्दा संख्या 1 के शीर्षक के तहत दर्ज किया गया था, लेकिन संक्षेप में, मुद्दा संख्या 3 में शामिल मामले को भी शामिल किया गया था।

उसकी मृत्यु का समय, संपत्ति के प्रमुख हिस्से को वसीयत करने के लिए चुनता है उनकी माँ के लिए, जो लगभग 80 वर्ष की थीं। निचली अदालत ने प्रतिवादियों के साक्षय के संदर्भ में अन्नपूर्णा की वित्तीय स्थिति की भी जांच की, जिन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा ने अपनी जमीन बेच दी थी

बिक्री विलेख पूर्व के तहत। बी-4 से बी-7 उसके ऋणों का भुगतान करने के लिए, लेकिन फिर, आश्चर्य हुआ कि रुपये की राशि का क्या किया गया था। 40,000 / - जिसे कथित तौर पर पूर्व समझौते के तहत भुगतान किया गया था। बी-10। ट्रायल कोर्ट ने देखा कि प्रतिवादी 4 के अनुसार, रु। 50,000 / - अपने पति की मृत्यु के समय अन्नपूर्णा द्वारा छुट्टी दी जानी थी लेकिन

वह लेनदारों के नाम नहीं बता सके और यह नहीं बता सके कि कितना भुगतान किया गया था। गहन चर्चा के बाद अन्नपूर्णा की वित्तीय स्थिति, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि

उनके उच्च स्तर के ऋण के बारे में सुझाव सही नहीं थे और निम्नानुसार देखे गए:

अन्नपूर्णा को आगे कोई भी चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। अन्नपूर्णा को कोई चिकित्सा सहायता नहीं दी गई है क्योंकि इस तरह के सबूत रिकॉर्ड में उनसे सामने आ रहे हैं। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अन्नपूर्णा इतनी हद तक ऋणी थीं। इसलिए सभी चौथे प्रतिवादी ने जो किया है, उसे वास्तविकता का रंग देने के लिए, ऋण का पहलू है

प्रक्षेपित "।

18.2 . इसके बाद निचली अदालत ने पहलुओं की ओर रुख किया

विचाराधीन वसीयत की वैधता से संबंधित। उन पहलुओं को यहाँ अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निचली अदालत के निष्कर्ष, कि वसीयत वास्तविक नहीं थी और विश्वास पैदा नहीं करती थी, उच्च न्यायालय द्वारा विधिवत अनुमोदित किए गए हैं; और यह संदेह से परे स्थापित है।

कि उक्त दस्तावेज (उदा. बी-9) मनगढ़ंत थी और अन्नपूर्णा की वसीयत नहीं थी। हम संक्षेप में संकेत दे सकते हैं कि कुछ प्रमुख कारण जो विचारण न्यायालय के समक्ष वसीयत की वैधता के विरुद्ध अभिनिर्धारित करने के लिए प्रबल थे, वे थे: (i) कि संपत्ति को एक 45 वर्षीय महिला द्वारा अपनी ज्येष्ठ मां को विरासत में देने की मांग की गई थी और इस तरह की वसीयत ने विश्वास को प्रेरित नहीं किया; (ii) कि वसीयत का दूसरा उत्तराधिकारी अन्नपूर्णा का एक खेत सेवक था और यह अविश्वसनीय वेनिगल कोटेश्वरम्मा बनाम था।

मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

कि उसने 2 एकड़ भूमि का एक बड़ा हिस्सा और घर का एक हिस्सा एक खेत नौकर को देने पर विचार किया होगा; (iii) लेखक, और दस्तावेज़ के प्रमाणक गवाह भी, किसी न किसी तरह से, प्रतिवादी से संबंधित थे और कोई स्वतंत्र गवाह नहीं थे; (iv) गवाहों द्वारा बताए गए वसीयत के निष्पादन के तरीके से विश्वास पैदा नहीं हुआ; (v) प्रतिवादी 4 वसीयत के तहत वास्तविक लाभार्थी था और उसने इसके निष्पादन में सक्रिय भाग लिया था, लेकिन इस तथ्य से बचने का प्रयास किया था; (vi) अन्नपूर्णा नहीं थी। एक स्वस्थ शारीरिक या मानसिक स्थिति में (वह दो दिन बाद समाप्त हो गई); (vii) दस्तावेज़ पर नंगे नज़र डालने पर कई कमियां स्पष्ट थीं, जिसमें अन्नपूर्णा के अंगूठे के निशान दिखाई देने का तरीका भी शामिल था; और (viii) वसीयत को गुप्त रखा गया था और वादी और प्रतिवादी 1 से 3 को इसके बारे में सूचित नहीं किया गया था।

18.3 . कथित वसीयत की वास्तविकता के खिलाफ काम करने वाली विशेषताओं को देखने के बाद, निचली अदालत ने फिर से मामलों की ओर रुख किया

जो विशेष रूप से बिक्री के समझौते से संबंधित थे और कारण का संकेत निचली अदालत ने फैसले के पैराग्राफ 35 में दिया था कि वसीयत को वास्तविकता का रंग देने के लिए और यह दिखाने के लिए कि अन्नपूर्णा दूसरों की बहुत ऋणी थी, जिसने उसे संपत्ति बेचने के लिए मजबूर किया, प्रतिवादी 15 को बिक्री के बारे में सुझाव दिए गए थे, जो कोई और नहीं बल्कि अन्नपूर्णा की बहन का पति था। विचारण न्यायालय ने उक्त समझौते के संबंध में साक्षय की जांच की और विशेष रूप से

प्रतिवादी 16 (मृत प्रतिवादी की पत्नी 15) जिसका परीक्षण डी. डब्ल्यू.-6 के रूप में किया गया था और उसने अपने दावे का उल्लेख किया कि पूर्व के तहत भूमि खरीदने के लिए विचार की व्यवस्था करने के लिए। बी-10, उनके पति ने एक समझौते के तहत जमीन के कुछ टुकड़े मथागी कोटैया (डीडब्ल्यू-10) और उनके बेटे मथागी लक्ष्मैया को बेच दिए, और उन्हें रु। 20,000 / - , हालांकि बिक्री केवल वर्ष 1984 में दर्ज की गई थी। उसने आगे कहा कि उसके पति ने रुपये की राशि उधार ली थी। 19,000 / - देवभक्तुनि रंगराव (डी. डब्ल्यू.-11) से वचन पत्र एक्स के तहत। बी-18 और बाद में उस ऋण का भुगतान किया। निचली अदालत ने वर्ष 1976 में मथंगी कोटैया (डी. डब्ल्यू.-10) और उनके बेटे को बिक्री के मामले पर विश्वास नहीं किया, जब यह पाया गया कि बिक्री उनके पक्ष में है। सी-1 और सी-2, दिनांकित 07.05.1984 थे और इसमें पहले के किसी समझौते का कोई उल्लेख नहीं था। द. इस संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

“ ... उन्होंने अपने और अपने बेटे के पक्ष में लिए गए अपने बिक्री विलेखों को Ex.C1 और C2 के रूप में चिह्नित किया। वे दिनांकित 7-5-1984 हैं। Ex.C1 और C2 के व्यक्तिगत (sic) पर वे DW 10 के पक्ष में निष्पादित किसी भी पहले के समझौते का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल [2021] 1 एस. सी. आर. है।

यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि डी. डब्ल्यू. 10 ने एसी खरीदा है। 1-25 15 वें प्रतिवादी से भूमि, जैसा कि उसने वर्ष 1976 या 1975 में कहा था।"

18.4 . ट्रायल कोर्ट ने यह भी पाया कि कथित वचन पत्र

Ex. बी-18 स्वयं प्रतिवादी 15 द्वारा लिखा गया एक दस्तावेज था और उसने कथित तौर पर तीन अवसरों पर भुगतान करके इस तरह के ऋण का भुगतान किया। इस संबंध में, विचारण न्यायालय ने डी. डब्ल्यू.-11 के बयान का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि उक्त वचन पत्र के तहत प्रतिवादी ने 15 लाख रुपये उधार लिए थे। 19,000 / - वर्ष 1976 में भूमि खरीदने के लिए; और वह 'पूर्व के चार महीने के भीतर। बी-18, प्रतिवादी 15 द्वारा गन्ना बेचकर पूर्ण ऋण का निर्वहन किया गया था। न्यायालय ने कहा कि ऐसे दस्तावेज हो सकते हैं -

पुराने कागजों और काली स्याही की मदद से किसी भी समय गढ़ा गया और उसे प्रतिवादी 15 द्वारा कथित खरीद से नहीं जोड़ा जा सका।

18.5 . ट्रायल कोर्ट ने यह भी पाया कि यहां तक कि समझौते के लेखक एक्स। बी-10 विक्रेता से उसकी माँ की बहन के रूप में संबंधित था।

बेटा, वह एक लाइसेंस प्राप्त विलेख-लेखक नहीं था और भूमि बेचने का कारण एक्स में उल्लेख नहीं किया गया था। बी-10। ट्रायल कोर्ट ने यह भी पाया कि डी. डब्ल्यू.-8 प्रमाणक ने प्रासंगिक प्रश्नों को टाल दिया। इसके बाद, निचली अदालत ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि प्रतिवादी 15 निम्मगड्डा का मूल निवासी था और इस बात का कोई ठोस कारण सामने नहीं आ रहा था कि उसने रुपये की भारी राशि खर्च करने के बाद दूर-दराज की जगह पर जमीन क्यों खरीदी थी। 40,000 / - .

18.6 . ट्रायल कोर्ट ने कहा कि बिक्री समझौता संभवतः संपत्ति को उसकी पहुंच से दूर ले जाने के लिए गढ़ा गया था।

18.7 . वसीयत से संबंधित दोनों मुद्दों से संबंधित सभी मामलों को व्यावहारिक रूप से शामिल करते हुए एक व्यापक और विस्तृत चर्चा के बाद (Ex. बी-9) और बिक्री समझौता (उदा. ख-10), विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया:

..... इसलिए Ex. बी10 एक वास्तविक दस्तावेज नहीं है और यह दिखाने के लिए सामग्री द्वारा समर्थित नहीं है कि 15 वें प्रतिवादी ने जिगलला कोटेश्वरम्मा बनाम को भुगतान किया था।

मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

रु. 40000 और पूर्व के तहत। बी10 जमीन खरीदता है और अपनी मृत्यु तक इसके कब्जे में रहे और वहाँ

इसके बाद यह उसके बच्चों के कब्जे में है। यह भी काफी है

आश्चर्य की बात है कि आदर्श का अधिकार और आनंद स्थापित करने के लिए

15 प्रतिबादी, प्रतिबादी सीस्ट पर निर्भर रहते हैं

रसीदें। उदा। बी12 और बी17 सूट के बाद हैं और वे एक तरफ ब्रश किया जा सकता है क्योंकि उन्हें इसके लिए गढ़ा गया है

सूट। Ex. बी 11 दिनांकित 13-11-1977 है। इस नाम में ठीक किया गया है

मालेमपति से मालेमपति सत्यनारायण वर प्रसादराव

सत्यरप्रसादराव। तो एक्स। बी11 का वजन नहीं दिया जा सकता है। इसलिए

अपने अधिकार में वस्तु का। उदा. B10 देने के लिए बनाया गया है वास्तविकता का रंग एक्स। बी9 करेगा। एक्स. 9 में इसका उल्लेख किया गया है।

रुपये का विचार। 2600 / -5 वें प्रतिवादी और 14 वें से प्रतिवादी को 15 वें के पक्ष में निष्पादक (एसआईसी) विलेख करना चाहिए।

प्रतिवादी और शेष राशि का उपयोग उसे मुक्त करने के लिए किया जा सकता है

ऋण। तो दस्तावेज़ Ex। बी10 और कुछ नहीं बल्कि एक मनगढ़ंत रचना है।

चौथे प्रतिवादी की अपने रिश्तेदारों के साथ मिलीभगत और

इसलिए Ex. बी10 प्रतिवादी के लिए कोई मददगार नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि

इच्छा सत्य और मनगढ़ंत नहीं है। ”

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

19. उपर्युक्त चर्चा और निष्कर्ष थे

मुद्दा संख्या 1 पर न्यायालय लेकिन, जैसा कि देखा गया है, मुद्दे से संबंधित मामले

3 बिक्री के लिए समझौते के बारे में भी जांच की गई

न केवल और स्पष्ट निष्कर्ष निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए थे

वसीयत की वास्तविकता लेकिन कथित समझौते के खिलाफ भी

ली। यही कारण था कि निचली अदालत ने मुद्दा नं.

निम्नलिखित शब्दों में y:

" अंक 3: यह पहले से ही चर्चा की गई है और तय किया गया है कि ए की मद 1

अनुसूची 15 वें प्रतिवादी को अन्नपूर्णा द्वारा नहीं बेची गई थी और

उन्होंने कभी भी अपने अधिकार का आनंद नहीं लिया। इसलिए इस मुद्दे का फैसला किया जाता है।

तदनुसार "।

20. अन्य मुद्दों के संबंध में निष्कर्ष बहुत प्रासंगिक नहीं हैं।

वर्तमान उद्देश्य नहीं है, लेकिन, यह संकेत दिया जा सकता है कि विचारण न्यायालय

घ प्रतिवादी 7 से 11 के खिलाफ मुकदमा दायर करने का कोई कारण नहीं है और

सेंट प्रतिवादी 12 और उनके खिलाफ लागत के साथ खारिज कर दिया।

जहां तक प्रतिवादी 5 और 6 के संबंध में, निचली अदालत ने पाया कि वे दो साल के लिए पट्टेदार थे और पहले ही जा चुके थे इसलिए वे आवश्यक पक्ष नहीं थे। उस निरंतरता में, न्यायालय ने यह भी कहा कि उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है और उनसे बहुत अधिक लाभ की वसूली की जानी है।

प्रतिवादी 13,14 और 16। मुद्दा संख्या 11 में, विचारण न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" अंक 11: यह प्रतिवादियों का स्वीकृत मामला है जिसमें वे हैं

अन्नपूर्णा की भूमि का अधिकार। उनका अधिकार माना जाता है

कानूनी नहीं। इसलिए उनका कब्जा अवैध है, प्रतिवादी 13,

14 और 16 अचल संपत्ति के लिए बहुत अधिक लाभ के लिए उत्तरदायी हैं।

उनके कब्जे में अन्नपूर्णा से संबंधित संपत्तियाँ

जब तक वे उन वस्तुओं का कब्जा वादी को नहीं सौंप देते और

प्रतिवादी 1 से 3। कुल लाभ का निर्धारण इसके द्वारा किया जाना चाहिए -

अलग याचिका का साधन "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

21. तदनुसार, विचारण न्यायालय ने प्रारंभिक आदेश पारित किया

इस प्रकार है:

और वादी को ऐसे एक हिस्से के कब्जे में रखा जाए। वादी 4, 13, 14, 16 से 18 तक प्रतिवादियों से मुकदमे के खर्च का हकदार है।

प्रतिवादियों 5 से 12 के खिलाफ मुकदमा लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है। अदालत

से अनुसूची संपत्तियों पर बहुत अधिक लाभ के लिए हकदार है प्रतिवादी 13,14,16 से 18 ऐसी संपत्तियों के संबंध में जो हैं

इन संबंधित प्रतिवादियों के कब्जे में। " उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित निर्णय और डिक्री 20.03.2009

22. जैसा कि देखा गया है, परीक्षण द्वारा इस प्रकार पारित निर्णय और डिक्री

अदालत को दो अलग-अलग अपीलों के माध्यम से चुनौती दी गई। प्रतिवादी द्वारा 16 से 18 तक की अपील, प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा 15, कथित समझौते के तहत दावा करते हुए (उदा. बी-10) 1998 के ए. एस. सं. 1887 के रूप में पंजीकृत किया गया। दूसरी ओर, प्रतिवादी 4,13 और 14, अनिवार्य रूप से वसीयत (Ex. बी-9) ने एक और अपील को प्राथमिकता दी जो 1989 के ए. एस. संख्या 1433 के रूप में दर्ज की गई थी। बाद की अपील में, प्रतिवादी 14 (अपीलार्थी 3) की मृत्यु हो गई और उसके कानूनी प्रतिनिधि

दिनांकित 02.11.1999 आदेश द्वारा अभिलेख पर लाया गया था। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, प्रतिवादी 2 मालेमपति राधाकृष्णमूर्ति (जो वेनिगाला कोटेश्वरम्मा बनाम में प्रतिवादी 3 थे।

मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

उक्त अपील) की अवधि भी अपीलों के लंबित रहने के दौरान समाप्त हो गई थी लेकिन उनके कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया था। यह आक्षेपित निर्णय के कारण-शीर्षक से देखा जाता है कि अपील

प्रतिवादी 4,13 और 14 (1989 का ए. एस. सं. 1433) द्वारा दायर प्रतिवादी 2 (प्रतिवादी 3) के खिलाफ 25.04.2006 पर खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि 16 से 18 प्रतिवादियों द्वारा अन्य अपील (1998 का ए. एस. सं. 1887) के संबंध में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। 23. उच्च न्यायालय ने अपने सामान्य निर्णय दिनांक 20.03.2009 द्वारा निपटान के लिए दोनों अपीलों पर विचार किया। निचली अदालत की दलीलों, मुद्दों, साक्षय और निष्कर्षों के साथ-साथ उसके समक्ष की गई प्रस्तुतियों पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में अपने निर्धारण के लिए दो प्रश्नों पर ध्यान दिया:

" इस प्रकार, पक्षों का मामला पूर्व के चारों ओर घूमता है। बी9-विल और एक्स। बी10-समझौता। अन्य सभी मुद्दों या बिंदुओं का आग्रह किया गया और

केवल इन दो दस्तावेजों के संबंध में माना जाता है। इसलिए,

जिन दो प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता है वे हैं।

1. चाहे Ex. बी9-वसीयत, दिनांकित 15.06.1978 सही, वैध और

वादी और प्रतिवादियों पर बाध्यकारी 1 से 3?

2. चाहे Ex. B10-बिक्री का समझौता, दिनांक 05.11.1976, जिसे अन्नपूर्णा द्वारा प्रतिवादी संख्या 15 के पक्ष में निष्पादित किया गया था।

एल. आर. द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया-प्रतिवादी 16 से 18, वादी पर सही, वैध और बाध्यकारी है, प्रतिवादी 1 से 3 और प्रतिवादी संख्या 14 के एल. आर. -

पुन्नम्मा? "

24. उच्च न्यायालय ने वसीयत के प्रमाण से संबंधित विभिन्न विशेषताओं और विभिन्न निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों पर ध्यान दिया, जिनमें एच. वेंकटचाला अयंगर बनाम बी. एन. के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए सिद्धांत भी शामिल हैं।

तिम्माजम्मा: ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 443 और उसके बाद, विचाराधीन वसीयत से संबंधित मामले की जांच की गई। उच्च न्यायालय ने वसीयत को विभिन्न कारणों से संदिग्ध पाया और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

डी. डब्ल्यू. 1 स्वीकार करता है कि वसीयत के निष्पादन के समय, उसकी एक अन्य बहन किलारू सीतारवम्मा और एक अन्य करीबी रिश्तेदार राम राज्यम्मा भी मौजूद थीं। एक अनुमान, इसलिए,

हो सकता है यह दर्शाता है कि उसके पिता
की ओर से सभी संबंध [2021] 1 एस. सी. आर. थे।

मौजूद है और यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि

अन्नपूर्णा ने एक्स को मार डाला। बी9 ध्वनि में उसकी स्वतंत्र इच्छा पर मन की स्थिति। एक्स के तुरंत दो दिन बाद। B9 वह मर गई

यह पर्याप्त प्रमाण होगा कि 15.6.1978 पर वह सक्षम नहीं थी

अन्नपर्णम्मा के अंगूठे की छाप ली और वीथ पर दबाया चादरें। इसका मतलब केवल यह है कि अन्नपूर्णा ने खुद नहीं, उसे रखा

अंगूठे की छाप। इस प्रकार EX B9 का निष्पादन स्वयं होगा

संदिग्ध लग रहा है।

जैसा कि वादी के विद्वान वकील ने ठीक ही बताया है

छापों को धूमिल किया जाता है। कटक स्पष्ट नहीं हैं। दूसरा

जब माना जाता है कि डी. डब्ल्यू. 2 ने फाउंटेन पेन का इस्तेमाल किया था तो मस्करा क्यों था

अंगूठे के निशान प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? आम तौर पर गाँवों में

दो से कम चादरों पर लेकिन तीन चादरों का उपयोग किया जाता था प्रत्येक पृष्ठ में कम से कम 1/3 स्थान। इसके अलावा, एक है

अंगूठे की छाप और प्रत्येक पृष्ठ की सामग्री के बीच का अंतर। में।

इस प्रभाव को दिया जाता है कि वसीयतकर्ता अंगूठे की छाप डालता है प्रत्येक पृष्ठ को पूरा करें। इन्हें बिल्कुल भी समझाया नहीं गया है

वसीयत के प्रस्तावक "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

24.1 . उच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि पक्ष में निर्णय

डी. डब्ल्यू.-4 और डी. डब्ल्यू.-5 (प्रतिवादी 13 और 14) का वादी और प्रतिवादी 1 से 3 को अपने आप में अलग करना अप्राकृतिक नहीं था, लेकिन वसीयत का प्रस्तावक और प्रतिवादी 4 भी सभी संदिग्धों को हटाने में विफल रहा।

परिस्थितियों और इसलिए, अनिवार्य रूप से विचारण न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि में, अपने निष्कर्ष को निम्नलिखित शब्दों में दर्ज किया:

" ..... वसीयत के प्रस्तावक डी. डब्ल्यू. 5 और डी. डब्ल्यू. 4 और डी. डब्ल्यू. 1 असफल रहे।

सभी संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करने के लिए और संतुष्ट करने में भी विफल

न्यायिक विवेक। अतः, यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि पूर्व। बी9 विल है

अन्नपूर्णा का अंतिम वसीयतनामा नहीं है; यह मान्य नहीं है और यह नहीं है

वादी या प्रतिवादियों पर बाध्यकारी 1 से 3 "। जिगलला कोटेश्वरम्मा बनाम।

मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]25. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.11.1976 (Ex.) के बिक्री समझौते से संबंधित बिंदु 2 पर विचार किया। बी-10) एन ने पहली बात यह देखी कि प्रतिवादी 2 और 3 के वाद या प्रत्युत्तर या लिखित आदेश में, एक फुसफुसाहट भी नहीं थी कि 15 के पास बिक्री प्रतिफल का भुगतान करने की कोई वित्तीय क्षमता नहीं थी और न ही कोई विशिष्ट आरोप था कि दस्तावेज़ एक्स। बी-10 जाली मौखिक था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा कुछ कारणों की जांच की, लेकिन अपनी अलग-अलग कटौती बताते हुए कहा,

अलिया, निम्नलिखित में:

चापलामडुगु और मालेम्पति परिवार विवाह के कारण निकटता से संबंधित हैं। सभी संबंध पूर्व के निष्पादन में सक्रिय रूप से शामिल थे। स्वर्गीय अन्नपूर्णा द्वारा बी10 समझौता। यह है। स्वाभाविक है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 15 की पत्नी उसकी बहन है।

अन्नपूर्णा। उनमें से एक और बहन डाक टिकट ले आई।

लेखक और प्रमाणक भी संबंधित हैं। संभवतः इस कारण से कि प्रतिवादी संख्या 15 को पता चला कि अन्नपूर्णा संपत्ति बेचने की इच्छुक है, उसने लेन-देन के लिए निकटतम रिश्तेदारों को बुलाया। लेन-देन में कुछ भी असामान्य नहीं है। इसलिए Ex. बी10 को साबित माना जाना चाहिए। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, प्रतिवादी संख्या 15 की वित्तीय क्षमता प्रासंगिक नहीं है। इस मुद्दे पर और न ही उस आधार पर, एक्स। बी10 को अस्वीकार किया जा सकता है क्योंकि वादी की शिकायत या प्रत्युत्तर में या प्रतिवादी 2 और 3 के लिखित बयान में कोई आरोप नहीं है कि प्रतिवादी

सं. 15 में बिक्री पर विचार करने की कोई क्षमता नहीं थी।

समझौते की तारीख। पर्याप्त सावधानी के माध्यम से, प्रतिवादी

डी. डब्ल्यू. 6 के रूप में संख्या 16 ने पालन-पोषण के तरीके और तरीके के बारे में बात की।

उसके पति द्वारा और यहाँ तक कि उसके उस हिस्से द्वारा भी

कोई भी अंतर। इसके अलावा, शिकायत के पैराग्राफ 6 में, एक आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी नंबर 4 ने अपने भाइयों के साथ सांठगांठ की, सत्यनारायण और सूर्य नारायण, उनके चचेरे भाई नरसिम्हा राव

(प्रतिवादी संख्या 9), किलारू सितारवम्मा और अंगूठा [2021] 1 एस. सी. आर. प्राप्त किया।

उनकी मृत्यु के तुरंत बाद अन्नपूर्णा की छापें

गलत लाभ कमाने के उद्देश्य से खाली श्वेत पत्र। यदि वादी

इस साधारण कारण से विफल हो जाता है कि Ex। बी10 को डाक टिकट पर निष्पादित किया जाता है रुपये का कागज। 6 / - . चाहे वह विक्रेता हो या उसका कानूनी

उत्तराधिकारियों ने सहमति साबित की है, एक्स। बी10, के अनुसार

लेखक और प्रमाणक, डी. डब्ल्यू. 7 और डी. डब्ल्यू. 8 की जांच करके कानून, जो

पूर्व देखा। बी10 को निष्पादित किया जा रहा है, नेतृत्व करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है

एक अलग निष्कर्ष पर। "

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

25.1 . उच्च न्यायालय ने आगे उक्त की वैधता पर राय दी

विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से असहमत होते हुए, निम्नलिखित शब्दों में कहें:

" क्या Ex.B10 एक के पक्ष में बिक्री होने से असंभव है

करीबी रिश्तेदार, जो किसी दूर के स्थान का निवासी हो। सीखा हुआ परीक्षण न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि Ex.B10 असंभव है क्योंकि

मछलीपट्टनम के निवासी प्रतिवादी संख्या 15 का कारण,

Ex.B10 के तहत नरसरावपेट में खरीदी गई संपत्ति नहीं है

आगामी और वह पंजीकृत बिक्री विलेख प्राप्त करने में विफल रहा, यहां तक कि

काफी समय बीतने के बाद। इस विचार में

न्यायालय, विद्वान विचारण न्यायालय के साथ वजन करने वाले कारण नहीं होंगे संभाव्यता (sic) Ex.B10। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अन्नपूर्णा,

सूर्यम्बा (प्रतिवादी संख्या 15 की पत्नी) और किरालू सीतारवम्मा वे प्रतिवादी नंबर 4 की बहनें हैं और सभी पुन्नम्मा की संतान हैं।

भूमि लाभदायक नहीं थी और भूमि सीमा कानून को पार करने के लिए भी नहीं थी, अन्नपूर्णा ने जमीनों को नकद में बदलने के लिए उन्हें बेचना शुरू कर दिया।

वह पक्षाघात से पीड़ित एक बीमार महिला थीं और इसलिए, इसकी काफी संभावना है।

कि वह इच्छुक खरीदारों के लिए भूमि बेच रही थी। Exs.B4 से

बी7 यह साबित करेगा। अन्नपूर्णा Ex.B10 के तहत जमीन बेच रही हैं। इसलिए, यह न तो असामान्य है और न ही असंभव है। आए हुए हैं।

पता है कि उसकी साली जमीन बेच रही है, अगर प्रतिवादी संख्या 15

हालांकि मछलीपट्टनम के निवासी ने उसे खरीदने के लिए संपर्क किया भूमि, कोई आश्चर्य नहीं है। वह परिवार के लिए अजनबी नहीं है और यह

हो सकता है कि अन्नपूर्णा ने खुद अपनी बहन से अनुरोध किया हो। जमीन खरीदने के लिए सूर्यम्बा। यह डी. डब्ल्यू. 7 के साक्षय में भी है,

Ex.B10 का लेखक, कि प्रतिवादी संख्या 15 वेनिगाला कोटेश्वरम्मा बनाम में समझौता करना चाहता था।

मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

कम्मावारिपलेम और इसलिए, उन्होंने Ex.B10 के तहत जमीन खरीदी। यह बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि डी. डब्ल्यू. 7 झूठ बोल रहा था। करीबी परिवारों के सदस्यों के बीच अपने रिश्तेदारों से जमीन खरीदना या उनके पक्ष में संपत्ति बेचकर या गिरवी रखकर धन जुटाना कोई असामान्य बात नहीं है।

25.2 . उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों के इस स्पष्टीकरण को भी स्वीकार कर लिया कि अन्नपूर्णा ने अपने बाएं अंगूठे का निशान लगाया था

पक्षाघात से पीड़ित होने के लिए दस्तावेज़ और इस तरह के तथ्य का दस्तावेज़ में उल्लेख नहीं किया गया था क्योंकि यह किसी पेशेवर द्वारा नहीं लिखा गया था कार्य-लेखक। इस चर्चा की निरंतरता में, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी भी की: -

..... डी. डब्ल्यू. 6 यह भी स्पष्टीकरण दिया कि समझौते के तुरंत बाद बिक्री विलेख क्यों प्राप्त नहीं किया गया और कोई गंभीर बात नहीं थी

उन्होंने जो कहा उसे चुनौती दें "।

25.3 . इसके बाद, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर अन्य साक्षयों की जांच शुरू की, जिसमें प्रतिवादी 5 की गवाही भी शामिल थी, जिसने डी. डब्ल्यू.-9 के साथ-साथ डी. डब्ल्यू.-6 और डी. डब्ल्यू.-7 के रूप में भी गवाही दी और प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों के मामले को स्वीकार किया कि विचाराधीन भूमि का कब्जा प्रतिवादी 15 को सौंप दिया गया था और उसने प्रतिवादी 5 और अन्य व्यक्तियों को पट्टे पर दे दिया था।

25.4 . वादी की ओर से प्रस्तुतियों में से एक यह था कि विल एक्स कब। बी-9 स्वयं संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हुआ था, समझौता एक्स। बी-10 को अस्वीकार किया जाना चाहिए। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक्स। बी-10 ठोस साक्षय द्वारा विधिवत साबित हुआ और यह एक स्वतंत्र दस्तावेज के रूप में लागू करने योग्य था। उच्च न्यायालय ने कहा -

" वादी के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि जब Ex.B9 स्वयं संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हुआ है, तो Ex.B10 को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। यह न्यायालय इस निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकता है। Ex.B10 समय की दृष्टि से Ex.B9 विल से पहले है। Ex.B10 एक स्वतंत्र दस्तावेज है और इसलिए, यहाँ तक कि Ex.B9 वसीयत भी साबित नहीं होती है और प्रतिद्वंद्वी दलों के लिए बाध्यकारी नहीं है, Ex.B10 को अपने दम पर बनाए रखा जा सकता है। वादी की दलीलें कि Ex.B9 जाली, मनगढ़ंत, संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई है और दस्तावेज़ स्वयं अप्राकृतिक है, सभी आधार हैं, जिन पर Ex.B10 समझौते को अमान्य करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता है। जैसा कि ऊपर निष्कर्ष निकाला गया है, Ex.B10 को प्रतिवादी 4 और 16 से 18 द्वारा [2021] 1 एस. सी. आर. द्वारा साबित किया गया है।

ठोस और विश्वसनीय साक्षय। इसलिए Ex.B10 लागू करने योग्य है।

उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ स्वतंत्र दस्तावेज़ के रूप में जो सफल होते हैं

अन्नपूर्णा की संपत्ति को।"

26. उपरोक्त चर्चा के बाद, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि वसीयत दिनांकित 15.06.1978 (Ex. बी-9) सत्य नहीं था; अन्नपूर्णा का अंतिम वसीयतनामा नहीं था; और वादी या प्रतिवादी 1 से 3 पर बाध्यकारी नहीं था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने माना कि बिक्री के लिए समझौता दिनांक 05.11.1976 (Ex. बी-10) वादी और 1 से 3 प्रतिवादियों के लिए वैध और बाध्यकारी था, जो 16 से 18 प्रतिवादियों के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए बाध्य थे। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि विभाजन के मुकदमे में, विवादित संपत्ति, जो वाद ए अनुसूची की वस्तु संख्या 1 है, विभाजन के लिए उपलब्ध नहीं होगी। उच्च न्यायालय ने अपीलों पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

" निष्कर्ष में, यह न्यायालय मानता है कि स्वर्गीय अन्नपूर्णा द्वारा कथित रूप से निष्पादित Ex.B9 वसीयत सही, वैध नहीं है और यह अन्नपूर्णा का अंतिम वसीयतनामा नहीं है। यह वादी या प्रतिवादी 1 से 3 पर बाध्यकारी नहीं है। यह न्यायालय यह भी मानता है कि अन्नपूर्णा द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित 05.11.1976 (प्रतिवादियों के पूर्ववर्ती 16 से 18) की बिक्री का समझौता वैध है और अन्नपूर्णा के कानूनी उत्तराधिकारियों, अर्थात् वादी और प्रतिवादियों 1 से 3 पर बाध्यकारी है। वे उसी से बाध्य हैं और प्रतिवादियों के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए बाध्य हैं। 16 18 तक। वादी द्वारा विभाजन के लिए दायर मुकदमे में, वाद की मद संख्या 1-एक अनुसूची संपत्ति, जो पूर्व की विषय वस्तु है। बी10

विभाजन के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

तदनुसार, प्रतिवादियों द्वारा दायर 1988 का अपील मुकदमा संख्या 1887

16 , 17 और सूट में लागत के साथ 18 की अनुमति है। प्रतिवादी 4,13 और 14 द्वारा दायर 1989 का अपील मुकदमा संख्या 1433 (प्रतिवादी संख्या 14 के कानूनी उत्तराधिकारियों को शामिल किया गया था) को लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है। आक्षेपित निर्णय और डिक्री को तदनुसार संशोधित किया जाएगा जहां तक वाद की मद संख्या 1-एक अनुसूची का संबंध है।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ

अपीलार्थी

27. उच्च न्यायालय के निर्णय और डिक्री का दावा करते हुए, वादी-अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने वेनिगाला कोटेश्वरम्मा बनाम के निष्कर्षों पर विचार किए बिना विचाराधीन समझौते के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को उलटने में कानून के साथ-साथ तथ्यों पर भी गलती की गई।

मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

विचारण न्यायालय द्वारा लौटाया गया न तो त्रुटिपूर्ण था और न ही पीड़ित था

कोई भी विकृति।

28. उन कारणों पर सवाल उठाते हुए जो उच्च के साथ प्रचलित थे

समझौते की वैधता को बरकरार रखने में न्यायालय। बी-10, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड के विपरीत कार्रवाई की है, यह देखते हुए कि बिक्री समझौते की वैधता के खिलाफ अभिवचनों में कोई दावा नहीं किया गया था। इस संबंध में, विद्वान वकील ने निचली अदालत की टिप्पणियों और निष्कर्षों का उल्लेख किया है, जिसमें वादी-अपीलार्थी द्वारा वाद में की गई दलीलों का स्पष्ट संदर्भ दिया गया है और साथ ही प्रतिवाद में भी कि कथित बिक्री समझौता कुछ और नहीं बल्कि मनगढ़ंत था।

29. विद्वान वकील ने अभी तक यह तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक कारक पर विचार नहीं करने में गंभीर त्रुटि की है कि

कथित खरीदार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि उसके द्वारा नियमित बिक्री विलेख पंजीकृत कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए, यदि बिक्री पर विचार के बड़े हिस्से का भुगतान पहले ही किया जा चुका था। विद्वान वकील ने विशेष रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अन्य सभी लेन-देनों में, संपत्तियों को अन्नपूर्णा द्वारा नियमित और पंजीकृत बिक्री विलेखों के माध्यम से बेचा गया था और प्रस्तुत किया है कि ऐसा कोई कारण नहीं था कि विक्रेता ने अपने पक्ष में बिक्री विलेख पंजीकृत नहीं कराया होता, अगर अन्नपूर्णा ने आरोप के अनुसार कोई समझौता किया होता।

30. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय मामले की महत्वपूर्ण विशेषता पर विचार करने में विफल रहा है कि विचाराधीन दस्तावेजों के तहत लाभार्थी कोई और नहीं बल्कि प्रतिवादी 4 के करीबी रिश्तेदार थे, जिन्होंने अन्नपूर्णा की वसीयत के अस्तित्व का भी सुझाव दिया था; और वसीयत के बारे में इस तरह के दावों को ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था; और उन निष्कर्षों को उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों 4,13 और 14 द्वारा दायर अन्य अपील को खारिज करते हुए पुष्टि की गई थी। विद्वान वकील के अनुसार, वसीयत की वैधता और वास्तविकता के खिलाफ निष्कर्षों का जोर कथित बिक्री समझौते की वैधता के सवाल तक समान रूप से फैला हुआ है; और बिक्री के लिए कथित समझौते के झूठ और मनगढ़ंत के बारे में ट्रायल कोर्ट के ठोस निष्कर्षों में उच्च न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान किया गया है।

उत्तरदाता सं। 2 & 3

31. इसके विपरीत, उत्तरदाता 2 और 3 (प्रतिवादी 17 और 18) की ओर से पेश विद्वान वकील ने पहले स्थान पर तर्क दिया है कि [2021] 1 एस. सी. आर. के लिए मुकदमा।

वादी-अपीलार्थी द्वारा दायर विभाजन इस कारण से भी बनाए रखने योग्य नहीं था कि वादी-अपीलार्थी ने विचाराधीन समझौते के संबंध में घोषणा की राहत नहीं मांगी थी। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि जब वादी-अपीलकर्ता ने याचिका दायर की कि मृतक अन्नपूर्णा द्वारा प्रतिवादी को विचाराधीन संपत्ति की बिक्री 15 नहीं थी

प्रतिवादी 15 अमान्य था और उस पर संपत्ति विभाजन के अधीन थी। विद्वान वकील के अनुसार, इस तरह की घोषणा की मांग किए बिना केवल विभाजन का मुकदमा विचारणीय नहीं था और यह अपील केवल इसी आधार पर खारिज की जानी चाहिए। विद्वान वकील ने राज्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में प्रस्तुत किया है राजस्थान बनाम. राव राजा कल्याण सिंह (उनके एल. आर. एस. द्वारा मृत): (1972) 4 एस. सी. सी. 165 ने कहा कि मुकदमे की स्थिरता पर याचिका एक कानूनी याचिका है और इसे इस न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया जा सकता है, भले ही उस संबंध में कोई विशिष्ट मुद्दा तैयार नहीं किया गया था।

32. जहां तक समझौते के संबंध में एक्स। बी-10, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि इसे विल एक्स के समय से पहले निष्पादित किया गया था। बी-9 और वसीयत की अयोग्यता पर निष्कर्ष इस समझौते के संबंध में कोई प्रभाव नहीं डालता है। विद्वान वकील ने प्रस्तुतियों पर विस्तार से बताया है कि इस समझौते का निष्पादन (उदा. बी-10) स्टाम्प पेपर पर विधिवत साबित किया जाता है

प्रतिवादी 16 (विक्रेता प्रतिवादी की पत्नी 15) द्वारा, जिसने डी. डब्ल्यू.-6 के रूप में और डी. डब्ल्यू.-7 लेखक और डी. डब्ल्यू.-8 प्रमाणक द्वारा भी गवाही दी;

रु. की राशि। 40,000 / - बिक्री के विरुद्ध विचार इन गवाहों के बयान में विधिवत स्थापित किया गया है; कि विक्रेता (प्रतिवादी 15) को अधिकार की डिलीवरी भी न केवल डी. डब्ल्यू.-6 के बयान से, बल्कि प्रतिवादी 5 की गवाही से भी स्थापित की गई है, जिसे भूमि पट्टे पर दी गई थी और जिसे डी. डब्ल्यू.-9 के रूप में अपदस्थ किया गया था। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि विक्रेता (प्रतिवादी 15) द्वारा बिक्री विचार के भुगतान के लिए धन जुटाने का प्रयास, डी. डब्ल्यू.-10 को अपनी भूमि बेचकर और डी. डब्ल्यू.-11 से उधार लेकर भी स्थापित किया गया है और उच्च न्यायालय ने विक्रेता के पक्ष में निष्कर्ष लौटाते समय प्रासंगिक साक्षय की उचित सराहना की है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि यह स्पष्ट रूप से समझौते की सामग्री से स्थापित है। बी-10 और आसपास की अन्य परिस्थितियाँ जिन्हें स्वर्गीय अन्नपूर्णा को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता थी अपने चिकित्सा खर्चों के साथ और उस कारण से, वह अपनी संपत्ति बेच रही थी; और उस क्रम में, उसने विचाराधीन संपत्ति को बेच दिया और पूर्व समझौते को विधिवत निष्पादित किया। बी-10। विद्वान वकील ने आगे वेनिगल कोटेश्वरम्मा बनाम।

मालेम्पाती सुरयाम्बा

& ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर रखी गई रसीदें भी अचूक रूप से साबित होती हैं

कि यह केवल प्रतिवादी 15 था, और उसके बाद प्रतिवादी 16 से 18, जो विचाराधीन संपत्ति के कब्जे में रहे और यह संपत्ति थी

विभाजन के लिए उपलब्ध नहीं है। विद्वान वकील के अनुसार, उक्त समझौते से संबंधित प्रश्नों के संबंध में, निचली अदालत ने बल्कि अनुमानों और अनुमानों पर आगे बढ़ते हुए कहा कि प्रतिवादी 15, मछलीपट्टनम का निवासी होने के नाते, नरसरावपेट में कोई संपत्ति खरीदने की संभावना नहीं थी; और निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत समझौते के संबंध में सही ढंग से उलट दिया गया है, जबकि समझौते के उस निष्पादन को अभिनिर्धारित किया गया है। बी-10 स्थापित किया गया है और कोई खंडन साक्षय नहीं होने के कारण इसकी वैधता और प्रवर्तनीयता से इनकार नहीं किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय में उस अपील के लंबित रहने के दौरान समाप्त हो गया और नहीं उनकी संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिस्थापन किया गया था। इस संबंध में, उत्तरदाता 2 और 3 के विद्वान वकील ने तीन गुना प्रस्तुतियाँ दी हैं। सबसे पहले, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि उक्त मृतक

प्रतिवादी विभाजन मुकदमे में सह-भागीदार था और उसकी मृत्यु के तथ्य के बारे में वादी-अपीलार्थी को पता था, लेकिन ऐसा तथ्य उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं बताया गया था और इसलिए, प्रतिद्वंद्वी उत्तरदाताओं पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता था। दूसरा, सिविल प्रक्रिया संहिता, 19084 के आदेश XXII के नियम 2 के संदर्भ में, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि 16 से 18 प्रतिवादियों का मुकदमा करने का अधिकार वादी के खिलाफ बचा है, जिसने मुकदमा दायर किया था और इसलिए, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील कम नहीं हुई। इसके अलावा, विद्वान वकील के अनुसार, मुकदमे की स्थिरता का सवाल मुख्य रूप से वादी के खिलाफ निर्देशित है और यदि इस याचिका को बरकरार रखा जाता है, तो मृतक प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का आधार ही हटा दिया जाएगा; ऐसी डिक्री को अमान्य कर दिया जाएगा; और किसी भी असंगत डिक्री का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। इन प्रस्तुतियों पर, विद्वान वकील यह बनाए रखेंगे कि प्रतिवादी 2 की मृत्यु की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है

उच्च न्यायालय में 16 से 18 प्रतिवादियों द्वारा दायर अपील (1988 का ए. एस. सं. 1887)।

34. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर चिंता से विचार किया है और लागू कानून के संदर्भ में रिकॉर्ड की जांच की है।

4 " सी. पी. सी. 'या संक्षेप में' कोड '।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्धारण के लिए बिंदु

35. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, घटनाओं और कार्यवाहियों की पृष्ठभूमि में; और हमारे सामने की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए,

इस अपील में निर्धारण के लिए बिंदु उत्पन्न होते हैं: (1) क्या वादी-अपीलार्थी द्वारा दायर विभाजन का मुकदमा दिनांक 05.11.1976 (उदा. बी-10); (2) इस तथ्य का क्या प्रभाव और परिणाम है कि प्रतिवादी 2 के कानूनी प्रतिनिधि, जो विचाराधीनता के दौरान समाप्त हो गए थे।

उच्च न्यायालय में अपील की, अभिलेख पर नहीं लाई गई है; और (3) क्या उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को उलटने में उचित था बिक्री के लिए उक्त समझौते के संबंध में परीक्षण न्यायालय दिनांक 05.11.1976 (Ex. बी-10)?

प्वाइंट नंबर 1

36. प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुतिकरण, कि

केवल विभाजन के लिए मुकदमा समझौते के खिलाफ घोषणा की मांग किए बिना बनाए रखने योग्य नहीं था। बी-10, किसी वैधानिक आवश्यकता या किसी मामले-कानून पर आधारित नहीं है। चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने

केवल राव राजा कल्याण सिंह (उपरोक्त) के निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि इस न्यायालय के समक्ष पहली बार मुकदमे की स्थिरता पर कानूनी सवाल उठाया जा सकता है, भले ही उस संबंध में कोई विशिष्ट मुद्दा तैयार नहीं किया गया था। हमें इस प्रश्न में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या वादी-अपीलार्थी द्वारा दायर अपील के विरोध में पहली बार ऐसी याचिका उठाई जा सकती है क्योंकि अन्यथा भी, यह याचिका पूरी तरह से आधारहीन है और गुण-दोष के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है।

37. यह सामान्य बात है कि विभाजन वास्तव में एक प्रक्रिया है

जो, एक संयुक्त आनंद कई में एक आनंद में बदल जाता है। 5 संपत्ति का विभाजन केवल उन्हीं लोगों के बीच हो सकता है जिनका इसमें हिस्सा या हित हो। एक व्यक्ति जिसका ऐसी संपत्ति में हिस्सा नहीं है, वह स्पष्ट रूप से विभाजन का पक्ष नहीं हो सकता है। विभाजन के लिए एक मुकदमे में, न्यायालय तीन मुख्य मुद्दों से संबंधित है: ((i) क्या विभाजन चाहने वाले व्यक्ति का वाद संपत्ति/संपत्तियों में कोई हिस्सा या हित है; (ii) क्या वह विभाजन की राहत और अलग कब्जे का हकदार है; और (iii) संपत्ति/संपत्तियों को कैसे और किस तरह से धन और सीमा द्वारा विभाजित किया जाना चाहिए?

व्युत्पत्ति के अनुसार, एक मुक़दमे के उद्देश्य के लिए "घोषणा" अभिव्यक्ति

5 वीड कंट्रोलर ऑफ एस्टेट ड्यूटी v. कांतिलाल त्रिकमलालः (1976) 4 एस. सी. सी. 643 (पैरा 16)। 6 शुभ करण बुबना बनाम। सीता सरन बुबना और ओआरएस। : (2009) 9 एस. सी. सी. 689 (अनुच्छेद 6 और 7)।

वेनिगाला कोटेश्वरम्मा बनाम। मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

विभाजन के लिए, अनिवार्य रूप से वाद संपत्तियों में वादी के हिस्से की घोषणा को संदर्भित करता है। 38. प्रासंगिक पृष्ठभूमि के संदर्भ से यह स्पष्ट होता है कि विभाजन, अलग कब्जा और भारी मुनाफे की वसूली के लिए इस मुकदमे में, वादी-अपीलार्थी ने जोर देकर कहा कि प्रतिवादी 1 से 3 सह-भागीदार थे और आरोप लगाया कि प्रतिवादी 4 और अन्य आरोपित प्रतिवादी अन्नपूर्णा की संपत्तियों के विभाजन में बाधा/बाधा पैदा कर रहे थे।

कागजात, उसकी मृत्यु के बाद। हालांकि, बिक्री के लिए किसी भी समझौते का कोई संदर्भ नहीं था और न ही मनगढ़ंत का कोई आरोप था कोई विशेष दस्तावेज़। वादी ने अन्नपूर्णा द्वारा निष्पादित या किसी भी व्यक्ति द्वारा उससे प्राप्त बिक्री के लिए किसी भी समझौते के बारे में जागरूकता नहीं दिखाई थी; और एक्स जैसे किसी भी समझौते का कोई संदर्भ नहीं था। बी-10। जैसा कि देखा गया है, अन्नपूर्णा द्वारा 05.11.1976 और 15.06.1978 पर बिक्री के लिए समझौते के निष्पादन के संबंध में याचिका केवल प्रतिवादी 4 द्वारा दायर लिखित बयान में सामने आई। अभिलेख की जांच से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी 4 द्वारा अपने लिखित बयान में ऐसी दलीलें लेने के बाद ही वसीयत (उदा. बी-9) और समझौते में विक्रेता (उदा। बी-10) को क्रमशः 14 और 15 प्रतिवादियों के रूप में जोड़ा गया। इस तरह की दलीलों का वादी द्वारा वाद में संशोधन करके और प्रत्युत्तर में आगे की दलीलों के माध्यम से भी खंडन किया गया था। वादी ने अन्नपूर्णा द्वारा वसीयत और समझौते के निष्पादन से इनकार कर दिया और

प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी 14 और 15 का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था

और उनके दावों को नजरअंदाज किया जा सकता था। वादी ने घोषणा की कोई राहत नहीं मांगी, चाहे वह वसीयत के खिलाफ हो या समझौते के खिलाफ;

और हमारे विचार में, उन्हें ऐसी किसी भी घोषणा की मांग करने की आवश्यकता नहीं थी।

38.1 . जैसा कि देखा गया है, वसीयत और बिक्री समझौते से संबंधित दलीलें

केवल प्रतिवादी 4 द्वारा अपने लिखित बयान में (और ऐसे अन्य प्रतिवादियों द्वारा जिन्होंने उनके लिखित बयान को अपनाया) लिया गया था। जाहिर है, इस तरह की दलीलें स्थापित करने की जिम्मेदारी प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों पर थी। यदि ऐसी दलीलें, या उनमें से कोई भी, स्थापित हो जाती, तो आवश्यक परिणाम सामने आते और दूसरी स्थिति में, वादी को सफल होना होता। किसी भी स्थिति में, वसीयत और बिक्री समझौते के दस्तावेज, जैसा कि [2021] 1 एस. सी. आर. द्वारा स्थापित किया गया है।

प्रतिवादियों का मुकाबला करना, उन्हें स्थापित करने वाले व्यक्तियों द्वारा सबूत के अधीन था। अपनी ओर से और विभाजन और अन्य संबंधित राहतों के लिए मुकदमे को बनाए रखने के उद्देश्य से, वादी को उनकी अनदेखी करने का अधिकार था और वादी को प्रतिवादियों द्वारा स्थापित समझौते के खिलाफ घोषणा की राहत लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

39. उपरोक्त के अलावा, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 के अनुसार, यह भी मौलिक है कि अचल संपत्ति की बिक्री के लिए एक समझौता, अपने आप में, ऐसी संपत्ति में कोई ब्याज पैदा नहीं करता है या उस पर कोई शुल्क नहीं लेता है। एक व्यक्ति जिसके पक्ष में बिक्री का समझौता है

उस आधार पर बिक्री विलेख प्राप्त करने के अधिकार के अलावा संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता है। तैयार संदर्भ के लिए, हम संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 54 को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं जो निम्नानुसार है: -

" 54. " बिक्री "परिभाषित की गई है। - " "बिक्री" में स्वामित्व का हस्तांतरण है। भुगतान या वादा की गई कीमत या आंशिक भुगतान और आंशिक के लिए विनिमय

वादा किया।

जिस तरह से बनाया जाए उसे बेच दें। - ऐसा हस्तांतरण, एक सौ रुपये और उससे अधिक मूल्य की मूर्त अचल संपत्ति के मामले में, या प्रत्यावर्तन या अन्य अमूर्त चीज़ के मामले में, केवल किया जा सकता है।

एक पंजीकृत साधन द्वारा।

एक सौ रुपये से कम मूल्य की मूर्त अचल संपत्ति के मामले में, ऐसा हस्तांतरण या तो

पंजीकृत साधन या संपत्ति के वितरण द्वारा।

मूर्त अचल संपत्ति की डिलीवरी तब होती है जब विक्रेता खरीदार या ऐसे व्यक्ति को कब्जे में रखता है जिसे वह निर्देश देता है।

संपत्ति से।

बिक्री के लिए अनुबंध। - अचल संपत्ति की बिक्री के लिए अनुबंध

एक अनुबंध है कि ऐसी संपत्ति की बिक्री शर्तों पर होगी

पार्टियों के बीच सुलह हो गई।

यह अपने आप में इस तरह के कार्यों में कोई रुचि पैदा नहीं करता है या उन पर कोई शुल्क नहीं लेता है।

संपत्ति "।

39.1 . यह बिना कहे चला जाता है कि बिक्री के लिए कथित समझौते ने विक्रेता को संपत्ति में स्वामित्व या किसी भी हित के साथ निवेश नहीं किया था।

7 बैंक ऑफ इंडिया बनाम। अभय डी. नरोत्तम और अन्य। : (2005) 11 एस. सी. सी. 520 8 दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान मामले में, विक्रेता या उसके कानूनी प्रतिनिधि, दिनांक 05.11.1976 (Ex. बी-10), ने कथित समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग नहीं की।

वेनिगाला कोटेश्वरम्मा बनाम। मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

प्रश्न; और बिक्री के लिए कथित समझौते ने विक्रेता का निवेश नहीं किया ऐसे किसी भी अधिकार के साथ कि वादी समझौते के खिलाफ घोषणा की मांग किए बिना अन्नपूर्णा द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के संबंध में विभाजन के लिए अपने दावे को बनाए नहीं रख सकती थी। इसलिए, के खिलाफ घोषणा की राहत के लिए मुकदमे की गैर-रखरखाव के बारे में यह याचिका

बिक्री के लिए कहा गया समझौता पूरी तरह से निराधार है और इसे केवल अस्वीकार किया जा सकता है।

प्वाइंट नंबर 2

40. इस मामले में महत्वपूर्ण प्रश्न इस तथ्य के प्रभाव और परिणाम के बारे में है कि प्रतिवादी 2 के कानूनी प्रतिनिधियों, जिनकी उच्च न्यायालय में अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी, को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था।

41. दीवानी मुकदमे में पक्षकारों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से निपटने के लिए प्रक्रिया के नियम अनिवार्य रूप से

संहिता के आदेश XXII में निहित प्रावधान। यद्यपि आदेश XXII के नियम 1 से नियम 10ए के प्रावधान मुख्य रूप से कार्यवाही को संदर्भित करते हैं।

किसी वाद में, लेकिन नियम 11 के आधार पर, उक्त प्रावधान अपीलों पर भी लागू होते हैं और अपील के उद्देश्य से, "वादी" शब्द, " प्रतिवादी "और" वाद "को क्रमशः" अपीलार्थी "," प्रतिवादी "और" अपील "के रूप में पढ़ा जा सकता है। संहिता के आदेश XXII का नियम 1 घोषित करता है कि

यदि मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है तो वादी या प्रतिवादी की मृत्यु से मुकदमा समाप्त नहीं होगा। जब अपील के उद्देश्य के लिए पढ़ा जाता है, तो इस प्रावधान का अर्थ है कि यदि मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है तो किसी अपीलार्थी या प्रतिवादी की मृत्यु अपील को कम नहीं करेगी। आदेश का नियम 2

संहिता का XXII उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसमें कई वादियों या प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार केवल जीवित वादी (ओं) या अकेले जीवित प्रतिवादी (ओं) के खिलाफ रहता है। यही प्रक्रिया अपील में लागू होती है जहां कई अपीलकर्ताओं या उत्तरदाताओं में से एक मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार केवल जीवित अपीलार्थी (ओं) या केवल जीवित प्रतिवादी (ओं) के खिलाफ रहता है। प्रक्रिया यह है कि न्यायालय को उस प्रभाव की प्रविष्टि रिकॉर्ड में करने की आवश्यकता है और

अपील जीवित अपीलार्थी (ओं) के आग्रह पर या जीवित प्रतिवादी (ओं) के खिलाफ, जैसा भी मामला हो, आगे बढ़ना है। हालांकि, के आधार पर

संहिता के आदेश XXII के नियम 11 के साथ पढ़ा गया नियम 4, कई उत्तरदाताओं में से किसी एक की मृत्यु के मामले में, जहां जीवित उत्तरदाता या उत्तरदाताओं के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार नहीं है और उस मामले में भी जहां एकमात्र उत्तरदाता की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार रहता है, विचाराधीन प्रक्रिया यह है कि मृतक उत्तरदाता के कानूनी प्रतिनिधियों को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाना है; और यदि ऐसे [2021] 1 एस. सी. आर. के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता है।

कानून द्वारा सीमित समय के भीतर प्रतिस्थापन, अपील इसके खिलाफ समाप्त हो जाती है

मृतक उत्तरदाता। बेशक, देरी से दायर प्रतिस्थापन के लिए आवेदन से निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन वर्तमान मामले में इसे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि इसके कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए कोई आवेदन नहीं है।

प्रतिवादी 2 (जो 1988 के ए. एस. सं. 1887 में प्रतिवादी 3 था) को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

41.1 . नियम 4 के नियम 1,2, उप-नियम (1), (2) और (3) और आदेश XXII के नियम 11 में निहित प्रासंगिक प्रावधानों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है:

" 1. यदि मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है तो पक्ष की मृत्यु से कोई कमी नहीं होगी। वादी या प्रतिवादी की मृत्यु मुकदमे का कारण नहीं बनेगी

यदि मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है तो इसे समाप्त कर दें।

" 2. प्रक्रिया जहाँ कई वादियों या प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है। जहां एक से अधिक वादी या प्रतिवादी हैं, और उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है, और जहां मुकदमा करने का अधिकार केवल जीवित वादी या वादी या केवल जीवित प्रतिवादी या प्रतिवादियों के खिलाफ रहता है, वहां न्यायालय उस प्रभाव की प्रविष्टि रिकॉर्ड पर कराएगा, और मुकदमा जीवित वादी या वादी के कहने पर आगे बढ़ेगा, या

जीवित प्रतिवादी या प्रतिवादियों के विरुद्ध। " 4.कई प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु के मामले में प्रक्रिया

या एकमात्र प्रतिवादी का। (1) जहाँ दो या दो से अधिक प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार जीवित व्यक्ति के खिलाफ नहीं रहता है।

अकेले प्रतिवादी या प्रतिवादी, या एकमात्र प्रतिवादी या एकमात्र जीवित प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है, अदालत, उस ओर से किए गए आवेदन पर, मृतक प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधि को एक पक्ष बनाया जाएगा और आगे बढ़ेगा।

सूट के साथ।

(2) इस प्रकार बनाया गया कोई भी व्यक्ति मृतक प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अपने चरित्र के लिए उपयुक्त कोई भी बचाव कर सकता है।

9 संहिता के आदेश XXII के नियम 11 के साथ पठित नियम 3 कई अपीलार्थियों में से किसी एक की मृत्यु के मामले में प्रक्रिया से संबंधित है, जहां मुकदमा करने का अधिकार जीवित अपीलार्थी या अपीलार्थियों के पास नहीं है और उस मामले में भी जहां एकमात्र अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार बच जाता है। हम वर्तमान मामले में इस प्रावधान से चिंतित नहीं हैं, इसलिए इसे नहीं निकाला गया है।

वेनिगाला कोटेश्वरम्मा बनाम। मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

(3) जहाँ कानून द्वारा सीमित समय के भीतर कोई आवेदन नहीं किया जाता है।

उप-नियम (1) के तहत, मृतक के खिलाफ मुकदमा समाप्त हो जाएगा।

प्रतिवादी।

XXX

XXX

XXX

" 11.अपीलों पर आदेश का अनुप्रयोग। इस अनुप्रयोग में

अपील के लिए आदेश, जहाँ तक हो सके, "वादी" शब्द होगा

एक अपीलार्थी को शामिल करने के लिए अभिनिर्धारित, शब्द "प्रतिवादी" एक प्रतिवादी, और शब्द "सूट" एक अपील "।

42. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आदेश XXII का नियम 2 लागू हो सकता है, हमारे पास है

यह जांच करने के लिए कि क्या जीवित उत्तरदाताओं के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार बचा है। ऐसा मामला नहीं है कि प्रतिवादी 2 के लिए कोई कानूनी उत्तराधिकारी उपलब्ध नहीं थे। यह भी ऐसा मामला नहीं है जहां मृतक प्रतिवादी 2 की संपत्ति शेष पक्षों को उत्तरजीविता या अन्यथा द्वारा हस्तांतरित की गई हो। इसलिए, आदेश XXII सी. पी. सी. के नियम 2 की प्रयोज्यता को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है।

42.1 . मान लीजिए, कानूनी के प्रतिस्थापन के लिए कदम नहीं उठाए गए थे

प्रतिवादी 2 के प्रतिनिधि, जो 1988 के ए. एस. सं. 1887 में प्रतिवादी 3 थे। इसलिए, संहिता के आदेश XXII के नियम 4 का उप-नियम (3) सीधे लागू हुआ और प्रतिवादी 2 (प्रतिवादी 3) के खिलाफ प्रतिवादी 16 से 18 द्वारा दायर उक्त अपील को समाप्त कर दिया गया। हम इस मोड़ पर लाभप्रद रूप से दोहरा सकते हैं कि वास्तव में, दायर की गई दूसरी अपील प्रतिवादी 4,13 और 14 द्वारा (1989 का ए. एस. सं. 1433) विशेष रूप से उच्च न्यायालय द्वारा मृतक प्रतिवादी 2 के खिलाफ 25.04.2006 पर खारिज कर दिया गया था।

43. एक बार जब यह पाया जाता है कि प्रतिवादियों द्वारा दायर अपील 16 से 18 तक

प्रतिवादी 2 (प्रत्यर्थी 3) के खिलाफ समाप्त होने पर, सवाल यह उठता है कि क्या वह अपील जीवित व्यक्ति के खिलाफ आगे बढ़ सकती थी।

प्रतिवादी अर्थात, वादी और प्रतिवादी 1 और 3 (जो प्रतिवादी 1,2 और 4 थे)। इस प्रश्न से निपटने के लिए, हम उपयोगी रूप से उपशमन के प्रभाव से संबंधित प्रासंगिक सिद्धांतों का उल्लेख कर सकते हैं।

कई उत्तरदाताओं के मामले में एक प्रतिवादी के खिलाफ अपील, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित और समझाया गया है।

43.1 . प्रासंगिक सिद्धांतों को बताया गया और गहराई से समझाया गया।

पंजाब राज्य बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा। नाथू रामः ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 89 उस मामले में, पंजाब सरकार ने दो भाइयों की कुछ भूमि का संयुक्त रूप से अधिग्रहण किया था। प्रस्तावित मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार करने पर, उनके संयुक्त दावे को मध्यस्थता और [2021] 1 एस. सी. आर. के लिए भेजा गया।

उनके पक्ष में एक पुरस्कार पारित किया गया जिसे राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती दी थी। अपील के लंबित रहने के दौरान,

फिटनेस का प्रमाण पत्र। अपील को खारिज करते हुए और उच्च न्यायालय के विचारों की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने उपशमन के प्रभाव से संबंधित सिद्धांतों को स्पष्ट किया और बताया कि क्यों, संयुक्त और अविभाज्य डिक्री के मामले में, जीवित प्रतिवादी (ओं) के खिलाफ अपील को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और मृतक प्रतिवादी के खिलाफ इसके उपशमन के परिणामस्वरूप खारिज किया जाना है; मूल कारण यह है कि मृत प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में, अपीलीय न्यायालय अपीलकर्ता और कानूनी के बीच निर्धारण नहीं कर सकता है। प्रतिनिधि कुछ भी जो कानूनी प्रतिनिधियों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। इस न्यायालय ने इंगित किया कि मृत प्रतिवादी की अपील को समाप्त करने से, अपीलार्थी और मृत प्रतिवादी के बीच की डिक्री अंतिम हो जाती है और अपील न्यायालय किसी भी तरह से नहीं कर सकता है।

उस डिक्री को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित करें। न्यायालय ने उस मामले में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 4. यह विवादित नहीं है कि आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता को देखते हुए, जिसे इसके बाद संहिता कहा जाता है, मृतक लाभु राम के खिलाफ अपील को समाप्त कर दिया गया, जब उनके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कोई आवेदन निर्धारित समय के भीतर नहीं किया गया था।

कानून। संहिता अन्य प्रत्यर्थियों के खिलाफ अपील को कम करने का प्रावधान नहीं करती है। न्यायालयों ने अभिनिर्धारित किया है कि कुछ परिस्थितियों में, सह-प्रत्यर्थियों के खिलाफ अपील भी समाप्त हो जाएगी क्योंकि उनके खिलाफ अपील को कम कर दिया गया है।

मृतक उत्तरदाता। वे हमेशा किसी मामले की विशेष परिस्थितियों के परिणाम के संबंध में सहमत नहीं रहे हैं और परिणामस्वरूप, सिद्धांत के अनुप्रयोग में राय में भिन्नता रही है। इससे मामलों पर विचार करने का कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि जब आदेश 22 नियम 4 मृत प्रतिवादी के सह-प्रत्यर्थियों के खिलाफ अपीलों को कम करने का प्रावधान नहीं करता है तो उनके खिलाफ अपीलों को कम करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। यह कहना कि उनके खिलाफ अपील कुछ परिस्थितियों में कम हो गई है, सही नहीं है।

बयान। बेशक, उनके खिलाफ अपील जिगलला कोटेश्वरम्मा बनाम में आगे नहीं बढ़ सकती है।

मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

कुछ परिस्थितियों और इसलिए खारिज किया जाना है। ऐसा परिणाम अपील में मांगी गई राहत की प्रकृति पर निर्भर करता है।

5. संहिता के आदेश 1 नियम 9 के प्रावधानों से भी यही निष्कर्ष निकाला जाना है, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी भी मुकदमे को पक्षकारों के गलत या गैर-सहयोगी के कारण विफल नहीं किया जाएगा और अदालत, प्रत्येक मुकदमे में, जहां तक वास्तव में उसके समक्ष पक्षकारों के अधिकारों और हितों का संबंध है, विवादग्रस्त मामले से निपट सकती है। अतः यह इस प्रकार है कि यदि न्यायालय के अधिकारों और हितों के संबंध में विवादग्रस्त मामले से निपटा जा सकता है। अपीलार्थी और मृतक प्रत्यर्थी के अलावा अन्य प्रत्यर्थियों को अपील के साथ आगे बढ़ना होगा और उस पर निर्णय लेना होगा। केवल तभी जब न्यायालय के लिए ऐसे मामलों से निपटना संभव नहीं है, कि

मृतक प्रत्यर्थी और इसलिए जो अदालत को एक डिक्री पारित करने के लिए प्रेरित करेगा जो उस डिक्री के विरोधाभासी होगी जो उसी के संबंध में अंतिम हो गई थी। (ख) जब अपीलकर्ता केवल उन उत्तरदाताओं के खिलाफ आवश्यक राहत के लिए कार्रवाई नहीं कर सकता था जो अभी भी अदालत के समक्ष हैं और (ग) जब जीवित उत्तरदाताओं के खिलाफ डिक्री, यदि अपील सफल होती है, अप्रभावी होती है, अर्थात, इसे सफलतापूर्वक निष्पादित नहीं किया जा सकता था।

***

***

फिर से, राय की आम सहमति यह है कि यदि डिक्री संयुक्त है और अविभाज्य, अन्य उत्तरदाताओं के खिलाफ अपील भी नहीं होगी

के साथ आगे बढ़ना होगा और इसके परिणामस्वरूप बर्खास्त करना होगा

मृतक प्रत्यर्थी के खिलाफ अपील का उपशमन।

संयुक्त फरमानों के पक्ष में अलग-अलग विचार मौजूद हैं उत्तरदाता जिनके विषय में अधिकार-डिक्री के मामले हैं

मृतक प्रतिवादी के खिलाफ अपील का परिणाम होगा उसके विशिष्ट हित को प्रभावित करने वाली डिक्री को अंतिम बनाना और

कि अन्य प्रत्यर्थियों के खिलाफ डिक्री को उपयुक्त रूप से निपटाया जा सकता है

अपीलीय न्यायालय द्वारा। हम इस दृष्टिकोण को सही नहीं मानते हैं।

मृतक के शेयरों या ब्याज का विनिर्देशन

प्रतिवादी डिक्री की प्रकृति को प्रभावित नहीं करता है और

संयुक्त डिक्री-धारक की पूरी डिक्री को निष्पादित करने की क्षमता या

जिस तरह से, उस डिक्री को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित करें। इसका कारण। सादा है। यह है कि कानूनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में

मृतक प्रतिवादी का, अपीलीय न्यायालय नहीं कर सकता है

अपीलार्थी और कानूनी के बीच कुछ भी निर्धारित करें

प्रतिनिधि जो कानूनी अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं डिक्री के तहत प्रतिनिधि। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि

न्यायालय जो संशोधन करेगा वह किस अपवाद के लिए है

लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

43.2 . इस चर्चा में इस पर ध्यान देना भी उचित होगा -

एल. आर. द्वारा सरदार अमरजीत सिंह कालरा (मृत) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय। और ओआरएस। वी. एल. आर. द्वारा प्रमोद गुप्ता (श्रीमती) (मृत)। और ओआरएस। : (2003) 3 एससीसी 272। इसमें मामला भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत कार्यवाही से उत्पन्न हुआ, जहां विभिन्न मालिकों के अपने-अपने संबंधित अलग-अलग दावे थे।

लेकिन संदर्भ कार्यवाहियों में पारित आदेशों के खिलाफ अपील में एक साथ शामिल हो गए। कुछ अपीलार्थियों की अवधि समाप्त हो गई और उनके संबंधित कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए समय के भीतर कोई कदम नहीं उठाए गए।

मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

केवल उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को स्वीकार नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, अनिवार्य रूप से यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि पुरस्कार/फरमान जो उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय थे, संयुक्त या अविभाज्य नहीं थे, बल्कि वास्तव में, दावेदारों की संख्या के आधार पर कई फरमानों का केवल संयोजन था और इसलिए, संयुक्त और कई या अलग करने योग्य थे। व्यक्तियों या उनके दावों के संबंध में। हालाँकि अपीलों को उच्च न्यायालय के पुनर्विचार के लिए बहाल कर दिया गया था, लेकिन इस प्रक्रिया में, संविधान पीठ ने नाथू राम के मामले में उपरोक्त निर्णय सहित प्रासंगिक मामले-कानून का सर्वेक्षण किया और ऐसे मामलों से निपटने के लिए सिद्धांतों को निर्धारित किया।

मामले; और उसमें, अपील के साथ आगे बढ़ने के मामले में लागू होने वाली असंगत फरमानों के बारे में विचार को भी रेखांकित किया।

इसके उपशमन के बाद भी उत्तरदाताओं में से एक। संविधान पीठ के उद्धरणों को निम्नलिखित रूप में उपयोगी रूप से देखा जा सकता है:

" 34. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम मानते हैं:

(1) जहाँ कहीं भी वादी या अपीलार्थी या याचिकाकर्ताओं को अपने स्वयं के विशिष्ट, अलग और स्वतंत्र अधिकार पाए जाते हैं और सुविधा के उद्देश्य से या अन्यथा, अपने अधिकारों को सही साबित करने के लिए एक ही मुकदमे में एक साथ जोड़ा जाता है, वहाँ उस पर अदालत द्वारा पारित डिक्री को एक या दूसरे पक्ष के पक्ष में कई फरमानों के संयोजन के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि एक संयुक्त और अविभाज्य डिक्री के रूप में। प्रतिवादियों या प्रतिवादियों के मामले में भी यही स्थिति होगी जिनके पास उनके खिलाफ दावों को चुनौती देने के समान अधिकार हैं।

(2) जब भी एक से अधिक के अलग-अलग और विशिष्ट दावों को एक ही कार्यवाही में, जैसा कि अब हमारे सामने है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत या कार्यवाही की समान प्रकृति में और/या पक्षों के व्यक्तिगत अधिकारों के दावे में दावों को संबंधित अदालतों द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है, समेकित किया जाता है और एक ही निर्णय या डिक्री पारित की जाती है, तो इसे केवल एक या एक से अधिक पक्षों के पक्ष या विपक्ष में कई फरमानों के संयोजन के रूप में माना जाना चाहिए, न कि संयुक्त और

अविभाज्य फरमान।

(3) केवल यह तथ्य कि दावों या अधिकारों ने दावा किया या करने की मांग की

प्रकृति में एक से अधिक समान या समान हैं या ऐसे एक से अधिक दावेदारों को एक साथ जोड़कर

विशेष प्रकृति, अपने आप में इलाज करने के लिए कानून में पर्याप्त नहीं होगी

उन्हें संयुक्त दावों के रूप में, ताकि निर्णय या डिक्री पारित की जा सके

उस पर एक संयुक्त और अविभाज्य है।

(4) सवाल यह है कि क्या किसी मामले में डिक्री संयुक्त है और अविभाज्य या संयुक्त और पृथक्कृत या पृथक्कृत होना चाहिए

निर्णय लिया गया, संपूर्ण को कम करने या बर्खास्त करने के उद्देश्यों के लिए

उचित रूप से और विधिवत रूप से गठित या प्रस्तुत नहीं किए जाने के रूप में अपील

आगे बढ़ने के लिए अक्षम, की आवश्यकता है

केवल इस तथ्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाए कि क्या

कार्यवाही में पारित निर्णय/डिक्री बनाम शेष दलों को विरोधाभासी का नुकसान उठाना पड़ेगा

या असंगत फरमान। इस कारण से, एक डिक्री हो सकती है

एक अन्य डिक्री के साथ विरोधाभासी या असंगत कहा जाता है केवल तभी जब दोनों फरमान लागू करने में असमर्थ हों या

पारस्परिक रूप से आत्म-विनाशकारी होगा और प्रवर्तन

एक के प्रवर्तन को नकार देगा या असंभव बना देगा

दूसरा "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

43.3 . उपरोक्त सिद्धांतों को इस न्यायालय द्वारा विधिवत लागू किया गया है।

कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से हेमरेड्डी (मृत) के मामले में v. रामचंद्र यल्लप्पा होस्मानी और अन्य। : (2019) 6 एससीसी 756। में।

उस मामले में, एक गोविंदरड्डी की मृत्यु हो गई, अपने पीछे दो बेटे श्रीराम रेड्डी और बसवारेड्डी और एक बेटी छोड़ गए। श्रीराम रेड्डी के दो बेटों ने इस आधार पर संपत्ति के संबंध में एक दीवानी मुकदमा दायर किया कि उक्त संपत्ति उनकी संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी। उस मुकदमे में, वादी ने बसवारेड्डी की पत्नी को प्रतिवादी 2 के रूप में शामिल किया और

उसने प्रतिवादी 1 को गोद लेने को चुनौती दी। प्रतिवादी 1 के गोद लेने को बरकरार रखते हुए मुकदमे को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। द.

वादी-भाइयों ने निचली अदालत के उक्त आदेश के खिलाफ अपील की। उस अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ताओं में से एक की अवधि समाप्त हो गई, लेकिन उसके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया और परिणामस्वरूप, अपील ने मृतक अपीलार्थी को समाप्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि पारित डिक्री को ध्यान में रखते हुए, अपील न केवल मृतक अपीलार्थी बल्कि समग्र रूप से समाप्त हो जाएगी। इस न्यायालय ने मामले के तथ्यों और वेनिगल कोटेश्वरम्मा बनाम को देखते हुए उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की पुष्टि की।

मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

विचारण न्यायालय की डिक्री की प्रकृति, जीवित अपीलार्थी के पक्ष में पारित कोई भी डिक्री उस डिक्री के साथ असंगत होगी जो मृतक अपीलार्थी और प्रतिवादियों के बीच अंतिमता प्राप्त कर चुकी थी। के साथ

असंगत फरमानों की संभावना के संदर्भ में, इस न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि अपील पर मुकदमा चलाने की अनुमति इसके द्वारा दी गई थी न्यायालय और इसलिए इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। संबंधित मामले-कानून के सर्वेक्षण के बाद, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार कहा:

" 32.डिक्री, जिसे अपीलार्थी, यदि सफल होता है

अपील, प्राप्त होगी, इसके बिल्कुल विपरीत होगी

भाई और प्रतिवादी। वे परस्पर अपरिवर्तनीय, पूरी तरह से असंगत। एक तरफ रख कर,

एकमात्र धारणा यह होगी कि एक दूसरे के दांतों में है।

एक में मुकदमा खारिज कर दिया जाता है जबकि दूसरे में मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। तय कर दिए गए हैं।

33. यह तर्क कि 10-9-2001 पर पारित आदेश को देखते हुए

जिसके द्वारा अपीलार्थी के दिवंगत भाई की मृत्यु के बावजूद,

अपील पर मुकदमा चलाने की अनुमति वहां की अदालत ने दी थी

आदेश पारित किए जाने के खिलाफ एक विरोध उत्पन्न होगा कि अपील समग्र रूप से समाप्त हो गई है, स्वीकार नहीं की जा सकती है। द.

अपीलार्थी के दिवंगत भाई की मृत्यु का प्रभाव

कार्यवाही एक की असंगतता से उत्पन्न होती है डिक्री जो डिक्री के साथ अंतिम हो गई है

अपीलार्थी अपीलीय न्यायालय को पारित होने के लिए आमंत्रित करता है। ऐसे में

एक अंतर्वर्ती आदेश द्वारा अपील पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा असंगत द्वारा उत्पन्न कानूनी बाधा को पार करने के लिए पर्याप्त

डिक्री जो कानूनी प्रतिस्थापन करने में विफलता के परिणामस्वरूप उभरती है

अपने दिवंगत भाई द्वारा दायर किया गया। नतीजतन, हम में कोई योग्यता नहीं देखते हैं अपील करें। तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

44. वर्तमान मामले में, यह निर्विवाद है कि

प्रतिवादी 16 से 18 (1988 का ए. एस. सं. 1887) द्वारा उच्च न्यायालय में अपील, प्रतिवादी 2 मालेमपति राधाकृष्णमूर्ति (जो अपील में प्रतिवादी 3 थे) के खिलाफ समाप्त कर दी गई। जब हम वर्तमान मामले में उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हैं, तो प्रतिवादियों द्वारा 16 से [2021] 1 एस. सी. आर. तक की उक्त अपील की मांग करना दूर की बात नहीं है।

18 , प्रतिवादी 2 मालेमपति राधाकृष्णमूर्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद, जीवित उत्तरदाताओं यानी वादी और प्रतिवादी 1 और 3 के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। इसके लिए यह सरल कारण यह है कि विचारण न्यायालय ने विशेष रूप से निष्कर्षों को वापस कर दिया था कि समझौता पूर्व। बी-10 वैध नहीं था और प्रतिवादी 16 से 18

(1988 के ए. एस. 1887) के अपीलकर्ताओं ने इसके तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं किए। निचली अदालत ने यह भी आदेश दिया था कि प्रतिवादी 13,14 और 16 अन्नपूर्णा से संबंधित अपने कब्जे में अचल संपत्तियों के संबंध में बहुत अधिक लाभ के लिए उत्तरदायी थे, जब तक कि वे उन वस्तुओं का कब्जा वादी और प्रतिवादी 1 से 3 को नहीं सौंप देते। समझौते की अयोग्यता के संबंध में ऐसे निष्कर्ष। बी-10 और विभाजन के लिए परिणामी डिक्री, कब्जे के वितरण और अपने लाभ की वसूली के लिए प्रतिवादी 2 मालेम्पति राधाकृष्णमूर्ति से अंतिमता प्राप्त की; और वाद संपत्तियों में एक चौथाई हिस्से (जिसमें शामिल संपत्ति भी शामिल है) के लिए उसका हक

44.1 . जैसा कि देखा गया है, उच्च न्यायालय ने उस पूर्व को अभिनिर्धारित करने के लिए आगे बढ़ाया है। बी-10 समझौता वादी और प्रतिवादी 1 से 3 के लिए वैध और बाध्यकारी है। डिक्री का यह हिस्सा बिल्कुल विपरीत है, और प्रतिवादी 2 के पक्ष में डिक्री के साथ अपरिवर्तनीय है, जिसने उक्त समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। बी-10 न तो वैध है और न ही प्रतिवादी 2 पर बाध्यकारी है। उच्च न्यायालय ने यह कहने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है कि वादी और प्रतिवादी 1 से 3 प्रतिवादी 16 से 18 के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए बाध्य थे। हालांकि इस मुकदमे में इस तरह की टिप्पणी करना, कि अन्नपूर्णा के उत्तराधिकारी प्रतिवादी 16 से 18 के पक्ष में एक बिक्री विलेख को निष्पादित करने के लिए बाध्य थे, अपने आप में गंभीर रूप से संदिग्ध बना हुआ है, लेकिन किसी भी मामले में घटना में, इस अवलोकन को मृत प्रतिवादी 2 के लिए नहीं बनाया जा सकता था।

45. जब अभिलेख के सामने विसंगतियों की भरमार होती है, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह होता है कि द्वारा दायर अपील

प्रतिवादी 2 (प्रतिवादी 3) के खिलाफ इसके उपशमन के बाद प्रतिवादी 16 से 18 आगे नहीं बढ़ सकते थे।

46. उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अपील को बचाने के लिए प्रतिवादियों को चुनौती देने के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों की अपनी विफलताएं हैं। वेनिगल कोटेश्वरम्मा बनाम में आदेश XXII नियम 2 सी. पी. सी. की प्रयोज्यता को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है।

मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

यह मामला विभाजन के मुकदमे से संबंधित है जहां वादी और प्रतिवादी 1 से 3 के पक्ष में डिक्री पहले ही पारित की जा चुकी थी। प्रतिवादियों द्वारा संपत्ति के ऐसे सह-भागीदारों के खिलाफ 16 से 18 तक की अपील सह-भागीदारों में से एक की संपत्ति के प्रतिनिधित्व के अभाव में आगे नहीं बढ़ सकती थी।

46.1 . दूसरा निवेदन, कि मुकदमे की स्थिरता का सवाल, मुख्य रूप से वादी के खिलाफ निर्देशित किया जा रहा है, उच्च न्यायालय में अपील को बचा सकता है, किसी भी तर्क से रहित है। हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि रखरखाव का सवाल ही निरर्थक है। किसी भी मामले में, यह प्रश्न भी प्रतिवादी 2 के कानूनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में नहीं उठाया जा सकता था क्योंकि विभाजन के लिए मुकदमे की स्थिरता का ऐसा प्रश्न न केवल वादी के खिलाफ बल्कि अन्य सह-भागीदारों के खिलाफ भी निर्देशित किया जाता है, विशेष रूप से जब उन्होंने प्रवेश की लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की थीं और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, क्षमता में खड़े थे।

विभाजन की मांग करने वाले वादी का।

क्योंकि यह देखा गया है कि प्रतिवादी 4,13 और 14 (1989 का ए. एस. संख्या 1433) द्वारा दायर दूसरी अपील मृतक के खिलाफ खारिज कर दी गई थी-प्रतिवादी 2 (जो उसमें प्रतिवादी संख्या 3 था) 25.04.2006 पर। दिलचस्प बात यह है कि 1988 के ए. एस. सं. 1887 में अपीलार्थी 16 से 18 तक के प्रतिवादी 1989 के ए. एस. सं. 1433 के अभिलेख में 5 से 7 तक के उत्तरदाता थे। इसलिए, यह आग्रह नहीं किया जा सकता है कि 16 से 18 प्रतिवादियों को उच्च न्यायालय में उनकी अपील के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी 2 की मृत्यु के बारे में पता नहीं था। किसी भी मामले में, 16 से 18 प्रतिवादियों की जानकारी की ऐसी कथित कमी नहीं हो सकती है कानून के संचालन को छोड़कर, जिसके द्वारा मृतक-प्रतिवादी (प्रतिवादी 2) के खिलाफ उनकी अपील को समाप्त कर दिया गया था और इस प्रकार, प्रस्तुत किया गया था

अन्य उत्तरदाताओं के खिलाफ अक्षम।

47. जहाँ तक वर्तमान अपील का संबंध है, हालाँकि ऐसा प्रतीत होता है

लेकिन आवेदन में संकेत दिया कि उक्त प्रतिवादी उच्च न्यायालय में अपील के लंबित रहने के दौरान समाप्त हो गया था। प्रतिवादी 2 के कानूनी प्रतिनिधियों को उच्च न्यायालय में रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था, इसलिए अपीलार्थी को इस तरह के प्रतिस्थापन की मांग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान अपील। यह ध्यान देने योग्य है कि जहाँ तक हमारे समक्ष वादी की अपील का संबंध है, वही निश्चित रूप से प्रतिवादी 2 के कानूनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में भी आगे बढ़ सकता है क्योंकि [2021] 1 एस. सी. आर. में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस अपील की सफलता के मामले में, प्रतिवादी 2 के संबंध में किसी भी असंगत डिक्री के अस्तित्व में आने की कोई संभावना नहीं है। विचारण न्यायालय की डिक्री वादी और प्रतिवादी 1 से 3 के पक्ष में रही थी और इस अपील की सफलता का परिणाम केवल विचारण न्यायालय की डिक्री की बहाली का होगा, जिसका मृतक प्रतिवादी 2 की संपत्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

48. पूर्वगामी कारणों से, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि इस अपील को केवल इस आधार पर अनुमति दी जानी चाहिए कि

उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी 16 से 18 (1998 का ए. एस. 1887) था

प्रतिवादी 2 (प्रत्यर्थी 3) के खिलाफ अपने उपशमन के बाद अक्षम प्रस्तुत किया गया और इस तरह से बर्खास्त किए जाने के लिए उत्तरदायी था।

प्वाइंट नंबर 3

49. हालांकि हम दृढ़ संकल्प के साथ मामले को बंद कर सकते थे।

लेकिन न्याय के हित में, हमने यह भी जांच की है कि क्या उच्च न्यायालय कथित समझौते के संबंध में निचली अदालत के निष्कर्षों को उलटने में उचित था। बी-10। मामले की समग्रता की जांच करने के बाद, हमारे विचार में, दस्तावेज़ एक्स के संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष। बी-10 अस्थिर रहते हैं और उन्हें अलग रखने की आवश्यकता होती है। यह इन्फ्रा द्वारा बताए गए कारणों के लिए है। 50. इस मामले की मुख्य विशेषताओं की समझ से यह स्पष्ट हो जाता है, जैसा कि पहले देखा गया है, कि दोनों से संबंधित प्रश्न

दस्तावेज़, एक्स। बी-9 और एक्स। बी-10 आंतरिक रूप से आपस में जुड़े हुए थे, विशेष रूप से जब प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि वसीयत (उदा. बी-9), वसीयत करने के अलावा, अन्नपूर्णा ने अपनी माँ (उत्तराधिकारी) को प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित समझौते के अनुसार उससे शेष बिक्री पर विचार प्राप्त करने के बाद प्रतिवादी के पक्ष में एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित करने का भी निर्देश दिया; और अन्नपूर्णा ने अपनी माँ को ऋण चुकाने का भी निर्देश दिया। समझौता

प्राथमिक कारण यह है कि विचारण न्यायालय ने संबंधित मामलों की जांच की दोनों ने मिलकर यह संकेत दिया कि वसीयत को वास्तविकता का रंग देने के लिए और यह दिखाने के लिए कि अन्नपूर्णा दूसरों की बहुत ऋणी थी, जिसने उन्हें संपत्ति बेचने के लिए मजबूर किया, अन्नपूर्णा की बहन के पति को बेचने के बारे में सुझाव दिए गए।

51. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय मामले की इस मौलिक विशेषता से चूक गया है कि दो दस्तावेज, वसीयत (उदा.

बी-9) और समझौता वेनिगल कोटेश्वरम्मा बनाम। मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

बिक्री के लिए (उदा. बी-10), जैसा कि प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, भले ही वे लगभग डेढ़ साल तक उनके निष्पादन के कथित समय के संदर्भ में अलग थे। जैसा कि देखा गया है, उच्च न्यायालय के समक्ष एक निवेदन किया गया था कि जब वसीयत (उदा. बी-9) संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हुआ पाया गया, समझौता (एक्स। बी-10) को भी एक आवश्यक परिणाम के रूप में अस्वीकार किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को इस तथ्य के संदर्भ में खारिज कर दिया कि समझौता (उदा. बी-10) समय से पहले था और एक स्वतंत्र दस्तावेज था जिसे लागू किया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि वसीयत को अमान्य करने के आधार को समझौते को अमान्य करने के लिए नहीं दबाया जा सकता है।

उनकी वैधता और वास्तविकता के बारे में प्रश्नों की जांच करते समय; और किसी भी मामले में, बिक्री समझौता (उदा. बी-10) एक स्वतंत्र नहीं रहा

या एकल दस्तावेज जब यह पाया गया कि इस दस्तावेज़ का वास्तव में विवादित वसीयत में उल्लेख किया गया था और इसके तहत दायित्व थे

कथित तौर पर वसीयतदार को दिया गया। इसके अलावा, वसीयत में वसीयतकर्ता को अन्नपूर्णा के ऋण का भुगतान करने की भी आवश्यकता थी। प्रतिवादियों ने यह भी सुझाव दिया कि अन्नपूर्णा का ऋण संपत्ति की बिक्री का कारण है। 51.2 . सभी चीजों को एक साथ रखते हुए, यह संदेह से परे है कि अन्नपूर्णा का ऋण और प्रतिवादी 15 को संपत्ति बेचने के लिए उनकी सहमति कथित वसीयत का एक अभिन्न हिस्सा थी। इसलिए दोनों दस्तावेजों को अलग नहीं किया जा सकता था।

51.3 . जैसा कि देखा गया है, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए हैं कि वसीयत (उदा. बी-9) एक अत्यधिक संदिग्ध दस्तावेज था और प्रस्तावक संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करने में विफल रहे हैं। हम यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि विचाराधीन वसीयत के खिलाफ ऐसे सभी विचार पूर्व समझौते पर लागू होंगे। बी-10 लेकिन, बिक्री के लिए ऐसे समझौते के अस्तित्व के बारे में संभावनाओं की प्रधानता की जांच करते समय, पक्षों, कथित समझौते के लाभार्थियों और उनके आचरण के समग्र संबंध को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। यह बलपूर्वक दोहराया जाता है कि कथित

बाद की विशिष्ट सामग्री के कारण अस्वीकृत वसीयत के साथ समझौता जुड़ा हुआ है। जाहिर है, इसलिए, वसीयत की वास्तविकता के खिलाफ निष्कर्षों के परिणाम समझौते को भी प्रभावित करने के लिए बाध्य हैं।

मामले के इस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय का विचार प्रतीत होता है

दृष्टिकोण की मौलिक त्रुटि से पीड़ित होना।

52. उच्च न्यायालय ने कहा है कि वादी ने प्रतिवादी की वित्तीय क्षमता और दस्तावेजों की जालसाजी के बारे में विशिष्ट दलीलें नहीं ली हैं। इन टिप्पणियों का अपना महत्व है। कमियां हैं। हमने यहाँ पहले भी वादी की दलीलों पर ध्यान दिया है और इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों द्वारा इन दस्तावेजों को पेश किए जाने के बाद, वादी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे झूठे और मनगढ़ंत थे। दी गई परिस्थितियों में, जिम्मेदारी भारी थी

इन दस्तावेजों की वास्तविकता स्थापित करने के लिए प्रतिवादी। जबकि

इस तरह की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, प्रतिवादियों ने यह सुझाव देने का प्रयास किया कि अन्नपूर्णा के ऋण को प्रतिवादी को जमीन बेचने का कारण माना जाए। प्रतिवादियों ने इस खरीद के लिए प्रतिवादी 15 द्वारा प्राप्त और एकत्र किए गए वित्त का सुझाव देने का भी प्रयास किया, इसके अलावा यह सुझाव दिया कि विचाराधीन भूमि प्रतिवादी 15 द्वारा पट्टे पर दी गई थी। दी गई परिस्थितियों में, साक्षय से उत्पन्न होने वाले प्रासंगिक कारकों को विशिष्ट अभिवचनों के अभाव के संदर्भ में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

लेनदार कौन थे और इसकी राशि के बारे में कुछ नहीं दिखाया गया था रु. 40,000 / - , कथित रूप से प्रतिवादी द्वारा समझौते के तहत 15 दिया गया (उदा. बी-10) का उपयोग किया गया था। यदि अन्नपूर्णा की ऋणग्रस्तता की कहानी संदेह में चली जाती है, तो संदेह न केवल वसीयत (उदा. बी-9) लेकिन समझौता (उदा. बी-10) भी।

54. प्रतिवादी द्वारा समझौते के तहत खरीद के लिए धन जुटाने के तरीके के बारे में प्रतिवादी द्वारा दिए गए सुझाव

(Ex. बी-10) अपनी दिलचस्प विशेषताओं और उच्च स्तर की विशेषताओं को ले जाते हैं।

असंभवताएँ। प्रतिवादी 16 (डी. डब्ल्यू. 6 के रूप में गवाही देते हुए) द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि उसके पति (प्रतिवादी 15) ने अपनी छोटी बहन अन्नपूर्णा से जमीन रुपये में खरीदी थी। 42,600 / - ; वह बिक्री समझौते के निष्पादन के समय मौजूद थी; और रु। 40,000 / - समझौते के समय भुगतान किया गया था और कब्जा वेनिगल कोटेश्वरम्मा बनाम था।

मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

वितरित किया गया। डी. डब्ल्यू.-6 के अनुसार, उसके पति (प्रतिवादी 15) ने रुपये की उक्त राशि की व्यवस्था की। 40,000 / - उसकी संपत्ति डी. डब्ल्यू.-10 और उसके बेटे को बेचकर और डी. डब्ल्यू.-11 से उधार लेकर। डी. डब्ल्यू.-10 और उनके बेटे के पक्ष में बिक्री विलेखों को वर्ष 1984 में देर से निष्पादित किया गया था और निचली अदालत ने स्पष्ट रूप से बताया है कि पिछले किसी भी मामले का कोई उल्लेख नहीं था।

उन बिक्री विलेखों में समझौता 1 ओ। इस प्रकार, रुपये प्राप्त करने की कहानी। 20,000 / - वर्ष 1976 में डी. डब्ल्यू.-10 के पास खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं है और इसे अस्वीकार करने की आवश्यकता है। फिर, रुपये का उधार। 19,000 / - डी. डब्ल्यू.-11 से एक वचन पत्र (उदा. बी-18) प्रतिवादी 15 द्वारा स्वयं लिखा गया। कोई पुष्टिकारक दस्तावेजी साक्षय नहीं होने के कारण, प्रतिवादी 15 के इस स्व-सेवारत दस्तावेज़ के साथ कोई संभाव्य मूल्य नहीं जोड़ा जा सकता है।

54.1 . हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों के मामले में उपरोक्त स्पष्ट कमजोरियों को गलती से खारिज कर दिया है, जबकि

यह देखते हुए कि प्रतिवादी 16 ने अपने पति द्वारा धन प्राप्त करने के तरीके और तरीके के बारे में केवल बहुत सावधानी के साथ बात की और

भले ही उसके बयान का वह हिस्सा संदिग्ध या असंभव हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सहमत नहीं हो सकते। यदि प्रतिवादी 16 (डी. डब्ल्यू.-6) के बयान का यह हिस्सा असंभव पाया जाता है, तो दस्तावेजों के आसपास का संदेह और बढ़ जाता है और यह गंभीर रूप से संदिग्ध है कि क्या ऐसा कोई दस्तावेज (बिक्री समझौता) अन्नपूर्णा द्वारा निष्पादित किया गया था और क्या प्रतिवादी द्वारा कोई भुगतान किया गया था।

इसके नीचे।

55. फिर भी मामले का एक और प्रासंगिक पहलू, जिसे विधिवत ध्यान में रखा गया और ट्रायल कोर्ट द्वारा उजागर किया गया, वह यह है कि यदि ऐसा कोई समझौता 05.11.1976 पर निष्पादित किया गया था, तो इसका कोई कारण नहीं था कि

विक्रेता ने लंबे समय तक बिक्री दस्तावेज पंजीकृत नहीं कराया क्योंकि अन्नपूर्णा की डेढ़ साल बाद मृत्यु हो गई थी। उच्च न्यायालय ने उन्होंने एक सरसरी अवलोकन किया कि डी. डब्ल्यू.-6 ने उस संबंध में एक स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने जो कहा उसके लिए कोई गंभीर चुनौती नहीं थी। उच्च न्यायालय ने डी. डब्ल्यू-6 के तथाकथित स्पष्टीकरण का विवरण नहीं दिया है। हालांकि, हमने रिकॉर्ड में रखे गए उसके बयान की जांच की है। व्याख्या यह है कि 'उन्होंने वर्ष 1977 में एक पंजीकृत विलेख प्राप्त करने के बारे में सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं कर सके क्योंकि चक्रवात के कारण उन्हें नुकसान हुआ था'। वास्तव में इस पहलू पर उनसे जिरह की गई जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने पंजीकरण के लिए समय निर्धारित नहीं किया था और उन्होंने 'जब पैसा मिले' तो इसे पंजीकृत कराने के बारे में सोचा था। यहाँ तक कि इस व्याख्या की भी अपनी समस्याएं हैं।

10 पैरा 18.3 ऊपर दिया गया है।

11 पैराग्राफ 25.2 में पुनः प्रस्तुत किया गया ऊपर

जब अन्य दावों के संदर्भ में कल्पना की गई कि प्रतिवादी 15 ने रु। 19,000 / - डी. डब्ल्यू.-11 से ऋण में; और कि प्रतिवादी 5 और 6 को विचाराधीन भूमि पर पट्टेदार के रूप में शामिल किया गया था। 55.1 . डी. डब्ल्यू.-6 ने सुझाव दिया है कि उसके पति रुपये का ऋण चुका दें। 19,000 / - डी. डब्ल्यू.-11 से लिया गया और प्रो नोट वापस ले लिया (उदा. बी-18)। कथित रूप से इस तरह के ऋण को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति (डी. डब्ल्यू.-11) ने कहा है कि

प्रतिवादी 15 द्वारा गन्ना बेचने के बाद 'चार महीने के भीतर' ऋण चुका दिया गया था। विवादित समझौते की तारीख 05.11.1976 है। अगर कर्ज लिया गया है।

डी. डब्ल्यू.-11 से विचाराधीन सौदे के उद्देश्य के लिए लिया गया था और चार महीने के भीतर भुगतान किया गया था; और यदि प्रतिवादी 5 और 6 को शामिल किया गया था पट्टेदार और पट्टा राशि का भुगतान कर रहे थे, डी. डब्ल्यू.-6 के इस कथन को स्वीकार करना मुश्किल है कि उन्होंने वर्ष 1977 में विलेख पंजीकृत कराने के बारे में सोचा था, लेकिन चक्रवात के कारण नुकसान होने के कारण ऐसा नहीं कर सके। यह समझौता करना बहुत मुश्किल है कि हालांकि प्रतिवादी 15 रुपये की ऋण राशि के पुनर्भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। 19,000 / - चार के भीतर

महीनों तक और विचाराधीन भूमि पर पट्टेदारों को शामिल किया था, फिर भी वह लगभग रु। 2,600 / - , कथित तौर पर नुकसान के कारण! इसलिए, विलेख का पंजीकरण नहीं कराने का स्पष्टीकरण और कारण भी खोखला और अस्वीकार्य साबित होते हैं। समान रूप से, प्रतिवादी 5 और 6 को प्रतिवादी 15 द्वारा पट्टेदार के रूप में शामिल करने और उनके द्वारा पट्टे की राशि का भुगतान करने की कहानी अत्यधिक असंभव हो जाती है।

55.2 . यह पहलू, कि पंजीकृत बिक्री विलेख प्राप्त न करने का कोई प्रशंसनीय कारण नहीं था, इस तथ्य के आलोक में देखने पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि अन्नपूर्णा अन्यथा केवल पंजीकृत बिक्री विलेखों के माध्यम से अपनी संपत्ति बेच रही थी।

56. इसके अलावा यह देखना दिलचस्प है कि प्रतिवादी 15 ने कभी भी अपनी तैयारी दिखाते हुए इस समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग नहीं की।

और अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने की इच्छा। विशेष रूप से, जब वादी-अपीलार्थी ने कथित समझौते के अधीन संपत्ति सहित अन्नपूर्णा की संपत्ति में अधिकारों का दावा करते हुए विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया था; और जब वह इस मुकदमे में पक्षकार के रूप में शामिल हुआ था, तब भी प्रतिवादी 15 ने कभी भी अन्नपूर्णा के उत्तराधिकारियों या वसीयत के कथित उत्तराधिकारी से विशिष्ट प्रदर्शन की मांग करने के लिए कदम नहीं उठाए। उनके कानूनी प्रतिनिधियों की भी यही स्थिति थी, जिन्होंने भी कभी विशिष्ट प्रदर्शन का दावा नहीं किया।

57. ऊपर जिन कारकों पर ध्यान दिया गया है वे संयुक्त रूप से और अलग-अलग काम करते हैं।

बिक्री के लिए समझौते की वास्तविकता के खिलाफ पूर्व। बी-10 और इस दस्तावेज़ को केवल अस्वीकार किया जा सकता है।

वेनिगाला कोटेश्वरम्मा बनाम। मालेमपति सूर्याम्बा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

58. उच्च न्यायालय ने कहा है कि निचली अदालत इस बात पर विचार करती है कि बिक्री एक रिश्तेदार को की गई थी और लेखक और प्रमाणक भी रिश्तेदार थे। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा ध्यान में रखे गए एक अन्य कारक का भी उल्लेख किया है कि प्रतिवादी 15 ने अपने बसे हुए निवास से दूर किसी स्थान पर भूमि खरीदने के बारे में क्यों सोचा होगा। उच्च न्यायालय के आकलन में, इन कारकों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं था और ये स्वाभाविक व्यवहार के थे। हमारे विचार में, इन कारकों को अलग-अलग नहीं देखा और उनकी जांच नहीं की जा सकती है।

भले ही इन कारकों में से प्रत्येक, अपने आप में, मामले के लिए निर्णायक नहीं है, वे संचयी रूप से उचित संदेह को जन्म देते हैं और जब उन्हें ऊपर बताए गए प्रमुख कारकों के साथ जोड़ा जाता है, तो समझौते के अस्तित्व के बारे में प्रतिवादी का मामला (उदा। बी-10) जमीन पर खटखटाया जाता है।

59. इसलिए, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि निचली अदालत ने मामले की अपने सही परिप्रेक्षय में जांच की थी और यह सही था कि

यह निष्कर्ष कि बिक्री के लिए यह समझौता (उदा. बी-10) उतनी ही अमान्य और अविश्वसनीय थी जितनी वसीयत (एक्स। बी-9)। उचित विश्लेषण और ठोस तर्क के आधार पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान किया गया। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से विचाराधीन समझौते के संबंध में निचली अदालत के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में गलती की है।

निष्कर्ष

60. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए यह अपील

सफल होता है; उच्च न्यायालय में 16 से 18 प्रतिवादियों द्वारा दायर अपील (ए. एस. नं. 1988 का 1887) अक्षम के रूप में खारिज कर दिया गया है; और विवादित डिक्री उस अपील के संबंध में उच्च न्यायालय की याचिका को उलट दिया जाता है। नतीजतन, निचली अदालत की डिक्री बहाल हो जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए खर्चों के अलावा, वादी-अपीलार्थी उच्च न्यायालय में और इस न्यायालय में इस मुकदमे के खर्च का भी हकदार होगा।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई